भारत में बाल संरक्षण कानूनों का सारांश

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

भारत में बाल संरक्षण कानूनों का सारांश

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

विषय-वस्तु

संक्षिप्तीकरण 1

किशोर न्याय 3

1.1 किशोर न्याय का इतिहास 3

1.2 किशोर न्याय अधिनियम 5

1.3 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 8

1.4 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 8

1.4.1 कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे 8

1.4.2 अपराधों के प्रकार 10

1.4.3 कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के बारे में आदेश 11

1.4.4 16-18 साल के बच्चे द्वारा किया गया जघन्य अपराध (धारा 15, 19 और 20) 11

1.4.5 आयु का निर्धारण (धारा 94) 12

1.5 कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों से निपटने में हितधारकों की भूमिका 12

1.5.1 पुलिस की भूमिका {नियम 8, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, आदर्श नियम, 2016} 12

1.5.2 किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका {नियम 10, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, आदर्श नियम, 2016} 14

1.5.3 बाल कल्याण समिति की भूमिका 18

1.5.4 जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका {नियम 85: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण), आदर्श नियम, 2016} 18

1.5.5 गैर-सरकारी संगठन की भूमिका 20

1.6 देखरेख और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चे 20

1.6.1बाल कल्याण समिति 22

1.6.2 बाल कल्याण समिति के सम्बन्ध में प्रक्रिया 22

1.6.3 देखरेख और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चे के बारे में आदेश 24

1.7 देखरेख और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों के मामलों से निपटने में हितधारकों की भूमिका 24

1.7.1 पुलिस की भूमिका 24

1.7.2 किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका 25

1.7.3 बाल कल्याण समिति की भूमिका 25

1.7.4 जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका 27

1.7.5 गैर-सरकारी संगठन की भूमिका 29

1.8 बच्चों के खिलाफ अपराध 30

1.9 दत्तक-ग्रहण 31

1.9.1 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की भूमिका 32

1.9.2 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संरचना 32

1.9.3 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का कार्य 33

1.9.4 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (सा), धारा 65 33

1.9.5 भावी दत्तक माता-पिता की योग्यता (धारा 57) 34

1.10.1 कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का पुनर्वास 34

1.10.2 देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों का पुनर्वास 34

बाल यौन शोषण 36

2.1 बाल दुर्व्यवहार 36

2.2 बाल यौन शोषण 36

2.3 पोक्सो अधिनियम, 2012 37

2.3.1 पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत यौन अपराध की श्रेणियां 38

2.3.2 पोक्सो मामलों की रिपोर्टिंग 42

2.3.3 बयान की रिकॉर्डिंग और परीक्षण की प्रक्रिया 43

2.4 बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में विभिन्न हितधारकों की भूमिका 44

2.4.1 पुलिस की भूमिका 44

2.4.2 किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका 45

2.4.3 बाल कल्याण समिति की भूमिका 45

2.4.4 जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका 46

बाल विवाह 48

3.1 बाल विवाह 48

3.2 बाल विवाह पर आंकड़े 48

3.3 बाल विवाह के कारण 49

3.4 बाल विवाह के परिणाम 49

3.5 यदि बाल विवाह हो रहा है, तो कौन शिकायत कर सकता है? 49

3.6 बाल विवाह को शून्य कैसे बनाया जा सकता है 50

3.7 स्थितियां, जब बाल विवाह अपने आप शून्य हो जाता है 50

3.8 रखरखाव और अभिरक्षा के लिए प्रावधान 51

3.9 किसे सजा दी जा सकती है और सजा की मात्रा 51

3.10 बाल विवाह को रोकने में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सी०एम०पी०ओ०) की भूमिका 52

3.11 बाल विवाह से संबंधित मामलों में विभिन्न हितधारकों की भूमिका 52

गुमशुदा बच्चे 54

4.1 गुमशुदा बच्चा 54

4.2 भारत में लापता बच्चों पर आंकड़े 54

4.3 लापता बच्चे की रिपोर्ट कहाँ/कैसे और कौन कर सकता है? 55

4.4 लापता बच्चे के मामले में हितधारकों की भूमिका 55

4.4.1 पुलिस की भूमिका 55

4.4.2 किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका 57

4.4.3 बाल कल्याण समिति की भूमिका 57

4.4.4 जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका 58

4.4.5 संगठित अपराध परिप्रेक्ष्य 59

4.5 बच्चा मिलने या बरामद होने पर उठाये जाने वाले कदम **60**

4.5.1 पुलिस की भूमिका 60

बाल श्रम **61**

5.1 बाल श्रम **61**

5.2 भारत में बाल श्रम पर आंकड़े **62**

5.3 भारत में बाल श्रम कानूनों की उत्पत्ति **62**

5.4 बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 **63**

5.4.1 बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध 63

5.4.2 किशोरों के रोजगार की स्थिति 64

5.4.3 बाल कलाकार के रूप में रोजगार की स्थिति (नियम 2 सी) 64

5.4.4 रजिस्टर का रखरखाव (धारा 11) 65

5.4.5 बच्चे या किशोर को नियोजित करने की सजा (धारा 14) 65

5.4.6 बाल श्रम के खिलाफ शिकायत कौन दर्ज कर सकता है (धारा 16) 66

5.4.7 कहाँ शिकायत करें 66

5.4.8 आयु प्रमाण पत्र (धारा 10) 67

5.4.9 बाल श्रम को प्रतिबंधित करने में जिलाधिकारी के कर्तव्य {नियम 17 (सी)} 67

5.4.10 जिला कार्य बल की भूमिका {नियम 17 सी, (2)} 68

5.5.1 बचाव समूह 68

5.5.2 पुलिस की भूमिका 68

5.6 पुनर्वास **69**

5.6.1 सामाजिक पुनर्वास 69

5.6.2 शैक्षिक पुनर्वास 70

5.6.3 आर्थिक पुनर्वास 70

मानव दुर्व्यापार **71**

6.1 मानव दुर्व्यापार **71**

6.2 मानव दुर्व्यापार क्यों **73**

6.3 मानव दुर्व्यापार के कारण **74**

6.4 कौन शिकायत दर्ज कर सकता है **75**

6.5: शिकायत कहाँ दर्ज करें **75**

6.6 शिकायत प्राप्त होने के बाद की जाने वाली कार्यवाही **75**

6.7 बचाव के बाद पुनर्वास **76**

6.7.1 सामाजिक पुनर्वास 77

6.7.2 आर्थिक पुनर्वास 77

6.7.3 शैक्षिक सहायता 78

6.8 मानव दुर्व्यापार के मामले से निपटने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका **78**

6.8.1 पुलिस की भूमिका 78

6.8.2 गैर सरकारी संगठन की भूमिका 80

6.8.3 बाल कल्याण समिति की भूमिका 81

6.8.4 जिला बाल संरक्षण इकाई 81

संक्षिप्तीकरण

कारा	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
सी०सी०आई०	बाल देखभाल संस्थान
सी०सी०एल०	कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
सी०एल०पी०आर०ए०	बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम
सी०एम०पी०ओ०	बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी
सी०एन०सी०पी०	देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे
सी०आर०पी०सी०	आपराधिक प्रक्रिया संहिता
सी०डब्ल्यू०सी०	बाल कल्याण समिति
सी०डब्ल्यू०पी०ओ०	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
डी०सी०पी०ओ०	जिला बाल संरक्षण अधिकारी
डी०सी०पी०यू०	जिला बाल संरक्षण इकाई
डी०एल०एस०ए०	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
डी०एम०	जिला अधिकारी
डी०एन०ओ०	जिला नोडल अधिकारी
डी०टी०एफ०	जिला कार्यबल
एफ०आई०आर०	प्रथम सूचना रिपोर्ट
एच०आई०वी०	ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस
आई०सी०पी०एस०	समेकित बाल संरक्षण योजना
आई०एल०ओ०	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आई०पी०सी०	भारतीय दंड संहिता
जे०जे०बी०	किशोर न्याय बोर्ड

एन०सी०पी०एल०	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
पी०ओ०	परिवीक्षा अधिकारी
पोक्सो अधिनियम	लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम
सा	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण प्राधिकरण
सारा	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
एस०डी०एम०	उप-प्रभागीय न्यायाधीश
एस०एच०ओ०	स्टेशन हाउस अधिकारी
एस०आई०	उप निरीक्षक
एस०जे०पी०यू०	विशेष किशोर पुलिस इकाई
एस०एल०एस०ए०	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
यूनिसेफ़	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष
यू०एन०सी०आर०सी०	बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
डब्ल्यू०एच०ओ०	विश्व स्वास्थ्य संगठन

1.1 किशोर न्याय का इतिहास

किशोर न्याय के इतिहास का पता हाई (उच्च) चांसरी के ब्रिटिश न्यायालयों से लगाया जा सकता है| हाई चांसरी के संघीय न्यायालयों (फीडरल कोट्र्स) को परेंस-पटैरिया बनने (माता-पिता का स्थान लेना) की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें उन बच्चों की देखभाल और सुरक्षा करना शामिल था, जिनके माता-पिता अनुपस्थित थे और उनकी संपत्ति खतरे में थी| इन संघीय न्यायालयों ने सामान्य बाल कल्याण को सुनिश्चित किया तथा उपेक्षित और आश्रित बालक को उनके अधिकार क्षेत्र में शामिल किया| ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत, 7 साल से कम उम्र के बच्चे को अपराध करने में अक्षम माना जाता था| 7 साल से 14 साल की उम्र के बीच के बच्चे के बारे में भी यह माना जाता था कि वह परिपक्व (मैच्योर्ड) नहीं है और अपने कार्यों के परिणामों को पूरी तरह से समझने में असमर्थ है| ऐसे बच्चों से निपटने के लिए विशेष न्यायाधिकरण बनाए गए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वयस्क आपराधिक न्यायालय किशोर अपराधियों से निपटने में सक्षम नहीं थे| किशोरों के लिए विशेष अदालतें पहली बार 1847 में यू०एस०ए० में शुरू की गई थीं| पहला किशोर न्यायालय शिकागो में 1899 में और इंग्लैंड में 1905 में स्थापित किया गया था|[1]

किशोर न्याय शब्द का प्रयोग पहली बार 1899 में अमेरिका के इलिनोइस राज्य में किया गया था|[2] भारत में किशोर न्याय प्रणाली के इतिहास का पता ब्रिटिश काल से लगाया जा सकता है| 1850 का अपरेंटिस अधिनियम पहला अधिनियम था, जिसने भारत में किशोर न्याय प्रणाली की नींव रखी| किशोर न्याय की अवधारणा ने 1860 में भारतीय दंड संहिता (आई०पी०सी०) और 1876 में रिफोर्मेट्री स्कूल्स एक्ट के अधिनियमन के साथ गति पाई, जिसे बाद में 1897 में संशोधित किया गया था| रिफोर्मेट्री स्कूल्स एक्ट को किशोर न्याय में मील का पत्थर कानून माना जाता है| इस अधिनियम के अनुसार, अदालतें बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक 2-7 साल तक संस्था में रखने का आदेश दे सकती हैं| इसके अलावा, बच्चों से निपटने के सुझाव 1919-1920 में भारतीय जेल समिति द्वारा प्रस्तावित किए गए थे| इसमें कहा गया है कि "मोटे तौर पर उपयुक्त प्रशिक्षण की कमी और ख़राब परवरिश को देखते हुए एक विशेष संस्थान को इस उद्देश्य के लिए तैयार और सुसज्जित किया जाना चाहिए|

हम मानते हैं कि बच्चों (14 से कम) और युवाओं (14-16) की कैद स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नीति के विपरीत हैं और हम सिफारिश करते हैं कि इस विषय पर अंग्रेजी कानून का प्रावधान, जो पहले से ही

1 http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/145628/9/09_chapter5.pdf

2 http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/145628/9/09_chapter5.pdf

मद्रास चिल्ड्रेन एक्ट में शामिल है, को आम तौर पर पूरे भारत में अपनाया जाना चाहिए|[3] भारतीय जेल समिति की रिपोर्ट ने आगे सुझाव दिया कि –

i) किशोर अपराधी के साथ एक वयस्क की तुलना में अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए

ii) किशोर अपराधियों को हिरासत में लेना प्रतिबंधित होना चाहिए; और

iii) रिफोर्मेटरी स्कूल्स के प्रावधान और किशोर न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए[4]

इसके बाद, 1920 में मद्रास चिल्ड्रेन एक्ट लागू किया गया| इसके बाद, बंगाल चिल्ड्रेन एक्ट, 1922 और बॉम्बे चिल्ड्रेन एक्ट, 1924 भी लागू किया गया| इस समय तक, मुख्य विचार बच्चे का कल्याण था; इस तथ्य के बावजूद कि बच्चा या तो अपराधी था या उपेक्षित था| स्वतंत्रता के बाद, यह देखा गया कि उपेक्षित और अपराधी बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई| औद्योगिकीकरण और तेजी से हो रहे शहरीकरण ने भी बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएँ ला दीं| इसलिए, 1960 में, बच्चों के लिए एक नया कानून बनाया गया, जिसे 1960 के बाल अधिनियम के रूप में जाना जाता है| यह अधिनियम सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू था और राज्य इस अधिनियम को अपनाने के लिए स्वतंत्र थे| इस अधिनियम ने उपेक्षित और अपराधी बच्चों को देखभाल, सुरक्षा, कल्याण, शिक्षा और पुनर्वास प्रदान किया| इस अधिनियम ने जेलों में बच्चों को बंदी बनाने पर सख्ती से रोक लगा दी| इस अवधि के दौरान, किशोर न्याय प्रणाली देश भर में एक सामान नहीं थी और प्रत्येक राज्य का अपना अलग किशोर कानून, मानदंड और व्यवहार था|

वर्ष 1985 में, किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों (यूनाइटेड नेशंस स्टैण्डर्ड मिनिमम रूल्स) को, आम तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (यू०एन० जनरल असेंबली) ने बीजिंग नियम के रूप में संदर्भित किया था| बीजिंग के नियमों ने किशोर की भलाई पर जोर दिया और कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किशोर के सार्थक जीवन के लिए परिस्थितियों का विकास करे| यह भी सुझाव दिया कि किशोर न्याय राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया और सामाजिक न्याय का अभिन्न अंग होना चाहिए|[5]

1989 में, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मलेन (यूएनसीआरसी) को अपनाया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र के सबसे व्यापक रूप से अपनाए गए सम्मेलनों में से एक है| कन्वेंशन के तहत कवर किए गए अधिकारों को निम्न चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

3 पैरा 367, इंडियन जेल कमिटी रिपोर्ट 1919-1920

4 इंडियन जेल कमिटी रिपोर्ट 1919-1920

5 बीजिंग के नियम

- जीने का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- विकास का अधिकार
- सहभागिता का अधिकार

1.2 **किशोर न्याय अधिनियम, 1986**

विश्व परिदृश्य की पृष्ठभूमि में, पहला किशोर न्याय अधिनियम, भारत में 1986 में लागू किया गया था| किशोर न्याय अधिनियम के आने के साथ ही, न्याय दृष्टिकोण को कल्याणकारी दृष्टिकोण में बदल दिया गया था| इस अधिनियम के तहत उपेक्षित या नाजुक किशोरों को देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास प्रदान किया गया; बच्चों की उम्र एक सामान नहीं थी|

लड़कियों को उन बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया था, जिन्होंने अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी तथा लड़के, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी| इससे बहुत अस्पष्टता तथा भ्रम पैदा हुआ| इसके अलावा, भारत ने 1992 में यू०एन०सी०आर०सी० की पुष्टि की, जिसने इसे एक जनादेश दिया:

- बच्चों को सभी प्रकार के भेदभाव से बचाएँ, चाहे उनका लिंग, रंग, राष्ट्रीयता और जातीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो| (अनुच्छेद 2)
- सभी निर्णयों को लेने की प्रक्रिया में प्राथमिक विचार के रूप में बच्चों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करें| (अनुच्छेद 3)
- उपलब्ध संसाधनों की अधिकतम सीमा तक बच्चे के जीवन, अस्तित्व और विकास के अधिकार को सुनिश्चित करें| (अनुच्छेद 4 और 6)
- स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने और सुनने का बच्चों का अधिकार सुनिश्चित करें| (अनुच्छेद 12)

इस वैश्विक परिदृश्य ने 1986 के किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक बना दिया, अत: 2000 में इसे निरस्त कर दिया गया और नया किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू हुआ|

निर्दोषता के अनुमान का सिद्धांत	यह माना जाना चाहिए कि सभी बच्चे 18 वर्ष की आयु तक निर्दोष हैं और उनका कोई आपराधिक इरादा नहीं है
गरिमा और योग्यता का सिद्धांत	सभी मानव समान रूप, गरिमा और अधिकारों के साथ एक से माने जायेंगे
प्रतिभागिता (भागीदारी) का सिद्धांत	प्रत्येक बालक को उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी फैसलों और कार्यवाहियों में सुने जाने तथा भाग लेने देने का अधिकार है और उस में बालक की उम्र तथा परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए बाल दृष्टिकोण का विचार किया जायेगा
सर्वोत्तम हित का सिद्धांत	बालक के बारे में सभी निर्णय इस प्राथमिक विचार पर आधारित होंगे कि ये बालक के बेहतर हित में हों तथा बालक के पूर्ण क्षमता से विकास में सहायक हो
पारिवारिक दायित्व का सिद्धांत	बच्चे की देखभाल, भरण-पोषण और संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेवारी मामले के अनुसार, उसके जन्मदाता परिवार अथवा दत्तक ग्रहणकर्ता अथवा पालक माता-पिता की होगी
सुरक्षा का सिद्धांत	यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किये जायेंगे कि बच्चा सुरक्षित है और उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है तथा उसके साथ कोई दुरुपयोग, दुर्व्यवहार अथवा उत्पीडन नहीं हुआ है
सकारात्मक उपाय	इस अधिनियम के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले बच्चों की कमजोरियों को कम करने के लिए सभी संसाधनों को परिवार और समुदाय के लोगों द्वारा जुटाया जाना चाहिए, जिसमें भलाई को बढ़ावा देना, पहचान का विकास करना और मिल-जुलकर रहने वाला तथा सक्षम वातावरण प्रदान करना शामिल है
नॉन स्टिग्मेटाइजिंग (गैर-निंदनीय) शब्दार्थ का सिद्धांत	बच्चे से संबंधित कार्यवाही के दौरान प्रतिकूल शब्दों, आरोप लगाने वाले शब्दों या नकारात्मक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
'अधिकारों के त्याग नहीं' का सिद्धांत	बच्चे को किसी अधिकार का कोई त्याग करने की न अनुमति दी जा सकती और न ही यह मान्य है, चाहे यह इच्छा किसी बच्चे की हो, अथवा बच्चे की ओर से कार्यरत व्यक्ति की अथवा मंडल या समिति की| मालिक अधिकार का कोई इस्तेमाल न करना त्याग नहीं माना जाएगा

समानता और निष्पक्षता का सिद्धांत	बच्चे के खिलाफ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा – लिंग, जाति, शीलता, जन्म स्थान, अक्षमता, प्रवेश की समानता – किसी भी आधार पर नहीं| प्रत्येक बच्चे को अवसर और उपचार उपलब्ध कराया जाएगा
निजता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत	प्रत्येक बच्चे को अपनी निजता और गोपनीयता की रक्षा करने का अधिकार है, सभी तरीकों और न्यायिक कार्यवाही से भी
अंतिम आश्रय के उपाय के रूप में संस्थानिकता (इंस्टिट्यूश्नालाईजेशन) का सिद्धांत	वाजिब जांच-पड़ताल करने के बाद अंतिम आश्रय के चरण के रूप में देखभाल के लिए बच्चे को संस्थान में रखा जायेगा
प्रत्यावर्तन (रिपेटरिएशन) एवं वापसी का सिद्धांत	किशोर न्याय प्रणाली में प्रत्येक बच्चे को अपने परिवार के साथ जल्द से जल्द एकजुट होने और उसे उसी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में जीने का अधिकार होगा, जो अधिकार इस अधिनियम के दायरे में आने से पहले उसे प्राप्त था; जब तक कि प्रत्यावर्तन (रिपेटरियेशन) बच्चे के हित में नहीं है
नई शुरुआत का सिद्धांत	किशोर न्याय प्रणाली के तहत, किसी भी बच्चे के सभी पिछले रिकॉर्ड को मिटा दिया जाना चाहिए, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में छोड़कर
विषयांतर का सिद्धांत	कानून के खिलाफ काम करने वाले बच्चे के साथ कार्यवाही के लिए उपाय प्रोत्साहित किये जायेंगे, किन्तु इसके लिए न्यायिक कार्यवाही का सहारा लेना आवश्यक नहीं है, जब तक कि वह बच्चे और समग्र रूप से समाज की भलाई में है
नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत	न्याय के बुनियादी प्रक्रियात्मक मानकों (बेसिक प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स) का पालन किया जाएगा, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, समीक्षा अधिकार और तरफदारी के नियम शामिल हैं, उन सभी व्यक्तियों अथवा निकायों की ओर से, जो इस अधिनियम के अधीन न्यायिक क्षमता से कार्यरत हैं

1.3 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 ने यूएनसीआरसी को सहयोग दिया और लड़कों और लड़कियों में उम्र के अंतर को दूर किया। इस अधिनियम ने 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को अपने संरक्षण के तहत माना। इस अधिनियम के तहत बच्चों की दो श्रेणियां मानी जाती हैं - देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालक और कानून का उल्लंघन करने वाले बालक| अधिक स्पष्टता लाने के लिए यह अधिनियम 2006 और 2011 में दो बार संशोधित किया गया।

2012 में, अमानवीय, क्रूर निर्भया मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था| उस मामले में अपराधियों में से एक नाबालिग था| इस बात को दृढ़ता से महसूस किया गया कि बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा अधिनियम में संशोधन किया जाये| 7 मई, 2015 को विधेयक लोकसभा में और 22 दिसम्बर, 2015 को राज्य सभा में पारित किया गया| विधेयक को 31 दिसंबर, 2017 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। यह 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ और इसके माध्यम से 2000 के अधिनियम को बदल दिया गया।

1.4 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बाल संरक्षण पर आधारित सभी अधिनियमों के लिए एक संरक्षात्मक वैश्विक छाता है| इस अधिनियम के तहत, किशोर शब्द का उपयोग बच्चों की किसी भी श्रेणी का वर्णन करने के लिए नहीं किया जाता है। इसमें बच्चों की दो श्रेणियां शामिल हैं- देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालक और कानून का उल्लंघन करने वाले बालक| कई नए शब्द परिभाषित किए गए हैं जैसे "अनाथ", “परित्यक्त", “आत्मसमर्पण", “छोटे अपराध", “गंभीर अपराध", “जघन्य अपराध"|

दूसरे अध्याय में अधिनियम के 16 सामान्य सिद्धांत नीचे दिये गए हैं, जिसे संपूर्ण किशोर न्याय प्रणाली के लिए आधार माना जा सकता है। 16 सामान्य सिद्धांत इस प्रकार हैं[6]:

1.4.1 कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे

‘कानून का उल्लंघन करने वाला बालक’ वह है –

- जिसके बारे में यह कहा गया है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है; और
- उस अपराध के किये जाने की तारीख को उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है[7] (धारा 2(13))

6 धारा 3 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2016

7 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, भाग 2

कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को बिना देर किये, पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर (उस स्थान से, जहाँ से बालक की गिरफ्तारी हुई थी, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) बोर्ड के समक्ष पेश किया जाना चाहिए| अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक जिले में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड होना चाहिए| किशोर न्याय बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं

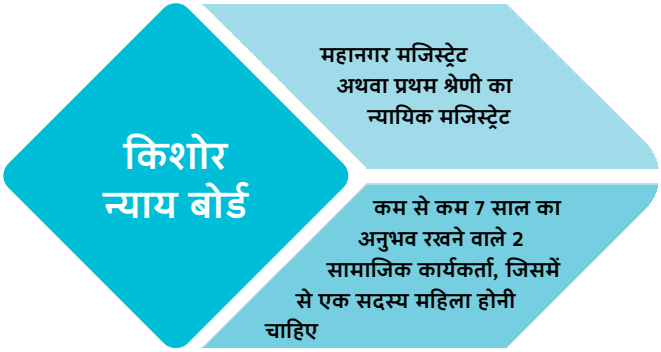

- एक मजिस्ट्रेट और दो सदस्य मिलकर एक बेंच बनाते हैं और बेंच के पास प्रथम श्रेणी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति होती है
- मजिस्ट्रेट सहित सदस्यों को नियुक्ति के 60 दिनों के भीतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है

  किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य की नियुक्ति तीन साल के लिए होती है| एक व्यक्ति दो कार्यकालों के लिए सदस्य हो सकता है, लेकिन यह दोनों कार्यकाल लगातार नहीं होंगे
- सदस्य की नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है, यदि:
  i. इस अधिनियम के तहत जो शक्तियां हैं, उस शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया जाता है
  ii. किसी अपराध का दोषी पाया जाता है
  iii. बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी वैध कारण के लगातार तीन मास तक शामिल नहीं होता है|
  iv. एक वर्ष में कम से कम तीन चौथाई बैठकों में शामिल नहीं होता है|

- कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को पकडे जाने के बाद किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाना चाहिए और यदि बोर्ड नहीं बैठा है, तो बालक को 24 घंटे के भीतर बोर्ड के किसी सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकता है
- अंतिम आदेश पारित करने के दौरान, प्रधान मजिस्ट्रेट सहित, कम से कम दो सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है
- जिला मजिस्ट्रेट के लिए बोर्ड के पास लंबित मामलों की त्रैमासिक समीक्षा करना जरूरी है
- जिला मजिस्ट्रेट के पास किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के तहत मामलों के समाधान करने का प्राधिकरण भी है

1.4.2 अपराधों के प्रकार

किसी बालक द्वारा किए गए किसी भी अपराध को तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है[8]:

जघन्य अपराध धारा 2 (33)	किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 के तहत, जघन्य अपराधों के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दंड सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है
गंभीर अपराध धारा 2, पॉइंट 54	किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 के तहत, गंभीर अपराधों के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन, दंड तीन से सात वर्ष के बीच के कारावास का है
छोटे अपराध धारा 2, पॉइंट 45	किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 के तहत, छोटे अपराधों के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन, दंड तीन वर्ष तक के कारावास का है

8 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, धारा 2

1.4.3 कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के बारे में आदेश[9]

किशोर न्याय बोर्ड कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे द्वारा किये गए अपराध की जाँच के बाद अपराध की गंभीरता के आधार पर निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है:

- बच्चे को काउंसलिंग (परामर्श) के बाद घर जाने की अनुमति देना
- बच्चे को समूह परामर्श गतिविधियों में भाग लेने के लिए निर्देशित करना
- बच्चे को सामुदायिक सेवा करने का आदेश देना
- बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावक को जुर्माना भरने के लिए कहना
- उचित व्यक्ति/ उचित सुविधा के तहत परख पर रिहा करना, जिसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी
- विशेष गृह/ सुरक्षा के स्थान पर भेजा जाना

1.4.4 - 16-18 साल के बालक द्वारा किया गया जघन्य अपराध (धारा 15, 19 और 20)

जब कोई ऐसा बालक जघन्य अपराध करता है, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है, तो बोर्ड ऐसा अपराध करने वाले बालक के विषय में निम्न निर्धारण करेगा –

1. बालक की मानसिक और शारीरिक क्षमता
2. अपराध के परिणामों को समझने की उसकी योग्यता
3. उन परिस्थितियों को समझना, जिसमें उससे अपराध हुआ

निर्धारण के बाद बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि ऐसे मामलों में आगे के परीक्षण की आवश्यकता है| बोर्ड के पास इस मामले को बाल न्यायालय में भेजने का विकल्प है, जो कि सत्र न्यायालय में जघन्य अपराधों की कोशिश करने का अधिकार क्षेत्र है।

यदि परीक्षण के बाद, कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को बाल न्यायालय द्वारा जघन्य अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे बालक को उसके इक्कीस वर्ष की आयु का होने तक सुधार और पुनर्वास के लिए सुरक्षा स्थल पर भेजा जाना चाहिए। इक्कीस वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, बच्चे का मूल्यांकन बाल न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसके बाद या तो बच्चे को छोड़ दिया गया है या कारावास की बाकी अवधि के लिए वयस्क जेल में भेज दिया जाता है।

9 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, धारा 18

1.4.5 आयु का निर्धारण (धारा 94):

जब व्यक्ति की कद-काठी और दिखावट के आधार पर बोर्ड को यह लगे कि व्यक्ति एक बच्चा है, बोर्ड उसी को मानेगा और मामले के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन जब बोर्ड को यह स्पष्ट नहीं हो पायेगा कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं या जब बोर्ड के पास इस संदेह के बारे में उचित आधार होगा, तब व्यक्ति की आयु निर्धारित की जाती है:

- विद्यालय से जन्मतिथि प्रमाणपत्र अथवा विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र या प्रवेश के समय स्कूल रजिस्टर में उल्लेखित आयु, यदि ये दस्तावेज सुलभ हैं और इन दस्तावेजों के न होने पर;
- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत की ओर से दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;
- उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में, बोर्ड व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए अस्थि परीक्षण का आदेश दे सकता है

1.5 कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों से निपटने में हितधारकों की भूमिका

1.5.1 पुलिस की भूमिका {नियम 8, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, आदर्श नियम, 2016}:

- बालक के माता-पिता या संरक्षक को यह सूचित किया जायेगा कि बालक को पकड़ा गया है और साथ ही बालक द्वारा किये गए अपराध के बारे में भी उन्हें सूचित किया जायेगा
- संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जायेगा कि बालक को पकड़ा गया है, ताकि वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी जमा कर सके, जिसके तहत अपराध किया गया था
- विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक द्वारा किये गए अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में दर्ज करेगा| जघन्य अपराधों के मामले को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में प्राथमिकी (एफ०आई०आर०) दर्ज नहीं की जाएगी
- बालक को पकडे जाने की शक्ति का प्रयोग केवल जघन्य अपराधों के विषय में ही किया जायेगा| बालक को तब तक नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक वह बालक के सर्वोत्तम हित में न हो| बालक को पकडे जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा

- छोटे-मोटे और गंभीर अपराधों के अन्य मामलों में, जहाँ बालक के हित में उसे पकडे जाना आवश्यक न हो, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट के साथ बालक द्वारा किये गए अपराध की जानकारी बोर्ड को भेजेगा

- बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर या बेड़ी नहीं पहनाई जा सकती| बच्चे को प्रेक्षण गृह/ उचित सुविधा या उचित व्यक्ति के साथ रखा जाना चाहिए, जब तक कि उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पहली बार प्रस्तुत न किया जाये

- बालक से किसी दस्तावेज या बयान पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहा जा सकता है| एफ०आई०आर० दर्ज होने के मामले में उसकी प्रति बच्चे को या उसके माता-पिता को देनी होगी

- विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) / बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) बालक को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही बल प्रयोग करेगा| पुलिस जब बालक से बातचीत करे, तब उसके माता-पिता या संरक्षक वहां उपस्थित हो सकते हैं|

- विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा प्ररूप (फॉर्म) 1 में बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट तैयार की जायेगी और उसमें उन परिस्थितियों की जानकारी दी जाएगी, जिसमें उसे पकड़ा गया था तथा उसे पहली सुनवाई के दौरान तुरंत किशोर न्याय बोर्ड को भेजा जायेगा

- विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस०जे०पी०यू०) या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सी०डब्ल्यू०पी०ओ०) बालक के माता-पिता या अभिभावकों को यह सूचित करेगा कि बालक को बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए कब प्रस्तुत किया जाना है

- पुलिस अधिकारी / विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) / बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) को जरूरत पड़ने पर बच्चे को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान कराना है

- यदि बालक को साक्षात्कार के दौरान दुभाषिया या एक विशेष शिक्षक की जरूरत हो तो उसे ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। बालक के साक्षात्कार के दौरान बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) सादे कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा

- विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) / बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) को बिना देर किये, बालक को पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा के समय को छोड़कर) बोर्ड के समक्ष पेश करना है

- पुलिस अधिकारी बालक को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करेगा

- किसी जिले के सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (सीडब्लूपीओ), बाल कल्याण अधिकारियों (सीडब्ल्यूओ), अर्द्ध विधिक स्वयंसेवियों (पैरा लीगल वालंटियर्स), जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डी०एल०एस०ए०) और रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों, बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों, विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) के सदस्यों और चाइल्डलाइन सेवाओं की सूची और उनसे संपर्क के ब्यौरे प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्शाए जायेंगे

- जब कोई जघन्य अपराध 16 साल से अधिक उम्र के बालक द्वारा किया जाता है, तब बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (सीडब्लूपीओ) को एक महीने के भीतर गवाहों और अन्य दस्तावेजों का विवरण प्रस्तुत करना होता है और इसकी एक प्रति बालक के माता-पिता / अभिभावकों को भी देनी होती है

- जब कोई छोटा/गंभीर अपराध किसी बालक द्वारा किया जाता है, तो अंतिम रिपोर्ट को जल्द से जल्द किशोर न्याय बोर्ड (जे०जे०बी०) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और दो महीने से अधिक समय नहीं लेना चाहिए|

1.5.2 किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका {नियम 10, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, आदर्श नियम, 2016}:

- पुलिस द्वारा अपराध करने के लिए गिरफ्तार किये जाने वाले किसी भी बालक को चौबीस घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड (जे०जे०बी०) के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा साथ ही एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे उन कारणों और परिस्थितियों को समझा जा सके, जिनमें बालक ने अपराध किया और पकड़ा गया| किशोर न्याय बोर्ड रिपोर्ट पर विचार करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा

- यदि बच्चा पकड़ा गया है और बोर्ड बैठा नहीं है, तो बच्चे को बोर्ड के किसी सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है

- यदि बोर्ड बैठा नहीं है, और एक बालक पकड़ा गया है, तो बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष बच्चे का प्रस्तुत किया जा सकता है, और बोर्ड की अगली बैठक में एकल सदस्य द्वारा दिए गए आदेश की पुष्टि करनी होगी

- यदि किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) की राय है कि उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया बालक एक ऐसे बच्चे की श्रेणी में आता है, जो आतंकवादी समूह या ऐसी किसी भी परिस्थिति में कार्यरत हो, जैसा कि धारा 83 में उल्लिखित है, जहाँ बोर्ड को ऐसा प्रतीत हो कि बालक को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और बच्चे को बाल कल्याण समिति के पास भेजना है

- जब कोई बच्चा पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन बच्चे द्वारा किए गए अपराध की जानकारी बोर्ड को दी जाती है, तो किशोर न्याय बोर्ड बच्चे को जल्द से जल्द बोर्ड के सामने पेश होने का निर्देश देगा

- बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर, बोर्ड को सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (एसबीआर), बच्चे को पकडे जाने की परिस्थितियों और बालक द्वारा किए गए अपराधों की रिपोर्ट की समीक्षा करनी होगी और फिर बच्चे के संबंध में आदेश पारित करना होगा

- बोर्ड मामले का निपटारा कर सकता है, यदि यह राय है कि आरोप निराधार है या एक छोटा अपराध है

- बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सौंपें, अगर बोर्ड को लगता है कि बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है

- बालक को प्ररूप 3 में एक आदेश के माध्यम से, उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थाओं या परिवीक्षा अधिकारियों की देखरेख में इस निर्देश के साथ छोड़ना कि बालक अगली तारीख पर जांच के लिए प्रस्तुत हो या प्रस्तुत किया जाए

- बोर्ड बच्चे को बाल देखभाल संस्थानों में रखने के आदेश पारित कर सकता है, अगर उसे लगता है कि यह विकल्प बच्चे के सर्वोत्तम हित में है

- जांच के लंबित रहने के समय, छोडे जाने के सभी मामलों में बोर्ड सुनवाई की अगली तारीख सूचित करेगा, जो कि पहली संक्षिप्त जांच की तारीख से अधिकतम 15 दिन बाद होगी

- जब कानून का उल्लंघन करने वाला बालक, जमानत दिए जाने के बाद सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख को बोर्ड के सामने प्रस्तुत हो नहीं पाता है, तब बोर्ड बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को बालक को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी करेगा

- यदि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश जारी किए जाने के बाद भी बालक बोर्ड के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाता है, तो बोर्ड अधिनियम की धारा 26 के अधीन उपयुक्त आदेश पारित करेगा

- कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बालक से संबंधित जांच में परीक्षा के लिए गवाहों को प्रस्तुत करने के समय, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जांच कार्य पूर्णत: प्रतिकूल कार्यवाही के रूप में न किया जाये

- बोर्ड बालक से बाल अनुकूल रीति से व्यवहार करेगा

- कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के बारे में, किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बोर्ड, उस बालक के पकडे जाने की परिस्थितियों और उसके द्वारा किए गए अपराध का ब्यौरा दर्शाने वाली रिपोर्ट तथा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करेगा

- जब बालक बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो बोर्ड को पहली बार में उसकी उम्र का निर्धारण करना होगा| आयु प्रमाण उपलब्ध न होने के मामले में, बोर्ड अधिनियम की धारा 94 के अनुसार, आयु निर्धारण के आदेश पारित करेगा

- 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे द्वारा जघन्य अपराध करने के मामले में प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए, बोर्ड मनोवैज्ञानिकों / परामर्शदाताओं की सहायता ले सकता है

- प्रारंभिक जांच के बाद, यदि बोर्ड की राय है कि अपराध एक वयस्क के दिमाग की तरह किया गया था, और उस बालक पर विचारण वयस्क के रूप में किये जाने की आवश्यकता है, तो बोर्ड उस के लिए कारण बताएगा, बच्चे या बच्चे के माता-पिता/ अभिभावक के साथ उस रिपोर्ट की एक प्रति साझा करेगा और मामले को बाल न्यायालय में भेजेगा

- प्रारंभिक निर्धारण के बाद बोर्ड, निम्नलिखित आदेशों में से कोई एक आदेश पारित कर सकेगा:

    - बालक को सुरक्षित स्थान पर रखने का आदेश देगा

    - जिन मामलों में बोर्ड बालक को सलाह या भर्त्सना या सामूहिक परामर्श में बालक की भागीदारी के पश्चात रिहा करता है या उसे सामुदायिक सेवा करने का आदेश देता है, उन मामलों में बोर्ड जिला बाल संरक्षण इकाई (डी०सी०पी०यू०) को ऐसे परामर्श एवं सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करने का निर्देश भी जारी करेगा

    - जिन मामलों में बोर्ड कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को परिवीक्षा पर छोड़ते हुए उसे उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखे जाने के निर्देश देता है, उन मामलों में जिस व्यक्ति की देखरेख में उस बालक को छोड़ा जाता है, उस व्यक्ति को लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा

    - व्यक्तिगत अनुबंध पर आदेश जारी

- परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में अधिकतम तीन वर्षों के लिए रखे जाने का आदेश

- जहाँ बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बालक ने परिवीक्षा की शर्तों का पालन नहीं किया है, उस मामले में बोर्ड निगरानी के शेष समय के लिए उस बालक को विशेष गृह में या सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा
- बोर्ड प्ररूप 11 में प्रत्येक मामले और प्रत्येक बालक का 'मामला निगरानी पत्र' रखेगा
- बोर्ड मामलों के लंबित रहने, गृहों के दौरे इत्यादि के विषय में तिमाही रिपोर्ट प्ररूप 12 में निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा -
  i. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या
  ii. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
  iii. जिला मजिस्ट्रेट
- बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि मामले की पूछताछ के दौरान कमरे में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं होगा
- बोर्ड को एक बच्चे के अनुकूल तरीके से बैठकें आयोजित करनी होंगी और बच्चे के साथ कठोर भाषा का उपयोग नहीं करना
- बोर्ड को एक उभरे हुए मंच पर नहीं बैठना
- बोर्ड को सभी कार्य दिवसों पर कम से कम छह घंटे बैठना होगा
- बालकों की प्रगति की निगरानी करने के लिए बोर्ड द्वारा उन बालकों को प्ररूप 14 के अनुसार पुनर्वास कार्ड जारी करना
- बोर्ड को बच्चे के अध्ययन के लिए फिर से प्रवेश या अध्ययन जारी रखने के लिए उचित आदेश पारित करने होंगे
- बोर्ड को यह सुनिश्चित करना है कि जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) कानूनी सहायता प्रदान करेगी
- बोर्ड को पश्चातवर्ती देखरेख और प्रयोजन कार्यक्रमों की समीक्षा करनी है और उचित व्यक्ति/ उचित सुविधा को पहचानना है

1.5.3 बाल कल्याण समिति की भूमिका

- अगर किशोर न्याय बोर्ड की राय है कि अधिनियम की धारा 83 के तहत बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, तो बाल कल्याण समिति को बच्चे के संबंध में निर्णय लेना होगा और बच्चे के पुनर्वसन या पुनर्वास के लिए प्रयास करना होगा
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को बोर्ड द्वारा सौंपे गये किसी भी बच्चे की देखभाल करनी होगी और अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करनी होगी

1.5.4 जिला बाल सरक्षण इकाई की भूमिका {नियम 85: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण), आदर्श नियम, 2016}

- बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के बारे में बोर्ड द्वारा भेजी गई तिमाही सूचना की रिपोर्टों का रखरखाव
- बालकों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक परामर्श और सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था करना
- जघन्य अपराध कर, कानून का उल्लंघन करने वाले सोलह से अट्ठारह वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए बाल न्यायालय के निदेश पर तैयार की गई व्यक्तिगत देखरेख योजना का पालन करना
- सुरक्षित स्थान पर रखे गए बालकों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा करना और बाल न्यायालय को रिपोर्ट भेजना
- ऐसे व्यक्तियों की, जिन्हें मानीटर प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, सूची का रखरखाव करना और ऐसे व्यक्तियों की सूची को बाल न्यायालय को भेजना, जिसे प्रत्येक दो वर्ष पर अपडेट किया जाएगा
- बाल देखभाल संस्थाओं से भागे गए बालकों का अभिलेख रखना
- कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों की संख्या का मूल्यांकन करना और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों की प्रवृत्ति और स्वरुप का मानीटर करने के लिए जिला विशिष्ट डाटाबेस तैयार करना
- संसाधन निदेशिका तैयार करने और समय-समय पर समितियों और बोर्डों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर बालकों से संबंधित सभी सुविधाओं का नियतकालिक और नियमित मानचित्र तैयार करना

- बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रायोजन (स्पोंसरशिप), पालन-पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) और परवर्ती देखरेख (आफ्टर केयर) सहित गैर-संस्थागत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुकर बनाना
- बालकों को उनके परिवार में उनको वापस भेजे जाने के सभी हालातों को आसान बनाना
- बाल देखरेख संस्थाओं में और अन्य संस्थागत देखरेख के अधीन मृत्यु या आत्महत्या के मामलों की जाँच करना, रिपोर्टें माँगना और कार्रवाई करना तथा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- बाल सुझाव पेटिका में मिली बालकों की शिकायतों और उनके सुझावों की जाँच करना तथा उपयुक्त कार्रवाई करना
- बाल देखरेख संस्थाओं की प्रबंधन समितियों में प्रतिनिधि होना
- जिला स्तर पर बाल देखरेख संस्थाओं, उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त सुविधाओं, पंजीकृत परवर्ती देखरेख संगठनों और संस्थाओं आदि के डाटाबेस का रखरखाव करना और उसे बोर्ड को भेजना
- जिला स्तर पर चिकित्सा और परामर्श केन्द्रों, नशा-मुक्ति केन्द्रों, अस्पतालों, मुक्त विद्यालयों, शिक्षा सुविधाओं, प्रशिक्षुता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केन्द्रों, प्रदर्शन कला, ललित कला जैसी मनोरंजन सुविधाओं और विशेष जरूरतों वाले बालकों के लिए सुविधाओं और ऐसी अन्य सुविधाओं के डाटाबेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों को भेजना
- जिला स्तर पर विशेष शिक्षकों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अनुवादक, दुभाषिया, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिकों या मन: सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों के साथ कार्य करने का अनुभव है, सुविधाओं के डाटाबेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों को भेजना
- अधिनियम की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर सभी पक्षकारों की तिमाही बैठकें आयोजित करना
- राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- बोर्ड या समिति के रिक्त पदों के बारे में, ऐसे पद रिक्त होने से, छह माह पूर्व, राज्य सरकार को सूचित करना
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिले में अधिनियम और उसके तहत बनाये गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा

1.5.5 गैर सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) की भूमिका

- यदि किसी एनजीओ के पास प्रोबेशन, केस वर्क, काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक सत्र में सहायता प्रदान करने के संसाधन या क्षमताएं हैं, तो यह सरकार के पैनल में खुद को नामांकित कर सकता है
- ऐसा करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्देशित किए जाने पर व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करें और बोर्ड को प्रस्तुत करें (नियम 13, 8 (2))

1.6 देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक

धारा 1 पॉइंट 14 के अनुसार, देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक (सी०एन०सी०पी०) वह है, जो -

- बेघर है
- जो कार्य करता हुआ मिला हो, भीख मांगते हुए अथवा सड़कों पर रहते हुए मिला हो
- जो किसी व्यक्ति के साथ रह रहा है (चाहे वह बच्चे का अभिरक्षक है अथवा नहीं) और वह व्यक्ति —
    - बच्चे का शोषण करता, चोट पहुंचाता, गाली देता अथवा अनदेखी करता हो अथवा
    - उस समय प्रभावी किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता है अथवा
    - बच्चे को मारने, घायल करने, शोषण करने अथवा गाली गलौज करने की धमकी देता है अथवा
    - अन्य कुछ बच्चों अथवा बच्चे को मार डाला, उपेक्षित किया अथवा शोषण किया है और उस व्यक्ति की ओर से मारने, गाली देने अथवा शोषण करने की वैसी वजहे हैं, इस बच्चे के साथ, अथवा
- जो मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकृत है अथवा असाध्य या घातक बीमारी से ग्रहित है, जिसके बाद उसकी देखरेख या सहायता करने वाला कोई नहीं है अथवा
- जिसके माता-पिता अथवा संरक्षक हैं और वे माता-पिता या संरक्षक उसकी देखभाल करने में असमर्थ अथवा अक्षम पाए गए हैं अथवा

- जिसके माता-पिता नहीं हैं और उसकी देखभाल को कोई भी इच्छुक नहीं है, अथवा जिसके माता-पिता ने उसे छोड़ दिया है अथवा समर्पित कर दिया है, या
- जो लापता है अथवा जो बच्चा भाग गया है
- जो यौन दुष्कृत्य अथवा अवैध कृत्य के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल, उत्पीडित अथवा शोषित किया गया या फिर उसके साथ उस जैसा हुआ है, अथवा
- जो मादक पदार्थ के दुरुपयोग अथवा अवैध कारोबार में अति संवेदनशील मिला हो अथवा उसे धकेला गया हो, अथवा
- अनुचित लाभ के लिए जिसका दुरुपयोग किया गया या किए जाने की संभावना है, अथवा
- जो किसी सशस्त्र संघर्ष, उपद्रव अथवा प्राकृतिक आपदा का शिकार अथवा उससे प्रभावित हुआ है, अथवा
- विवाह योग्य आंयु के होने से पहले जिसका विवाह होने का जोखिम हो

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की देखभाल के लिए, राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) स्थापित करने की आवश्यकता है।

1.6.1 बाल कल्याण समिति

- बाल कल्याण समिति एक पांच सदस्यीय समिति है, जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे तथा उनमें से कम से कम एक महिला होगी
- जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) बाल कल्याण समिति को उसके प्रभावी कार्य के लिए सचिवालय सहयोगार्थ सचिव तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी
- समिति की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए है और एक व्यक्ति दो कार्यकालों के लिए समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन ये दोनों कार्यकाल लगातार नहीं होंगे
- नियुक्त किसी सदस्य को राज्य सरकार के ओर से जांच के बाद बर्खास्त किया जा सकेगा, यदि –
    i. वह उन शक्तियों के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है, जो उसे इस अधिनियम के अधीन मिली हैं
    ii. वह बिना किसी मान्य कारण के लगातार तीन महीने तक समिति कार्यवाही में शामिल नहीं होता है या एक वर्ष में तीन चौथाई से कम बैठकों में अपनी उपस्थिति देता है
- जिला मजिस्ट्रेट समिति के लिए अभियोग निवारण प्राधिकारी (ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी) होगा
- मामलों के निपटान और मामलों के लंबित (पेंडेंसी) होने की प्रकृति का विवरण देने के लिए समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट डीएम को प्रस्तुत करना आवश्यक है
- बाल देखभाल संस्थान में जाने को समिति की बैठक माना जाता है

1.6.2 समिति से संबंधित प्रक्रिया

- समिति को देखभाल और सुरक्षा की जरुरत वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए मामलों को निपटाने की शक्ति है
- समिति की बैठक माह में कम से कम बीस दिन होगी
- यदि समिति की बैठक नहीं है या शाम को देर से हो रही है तो समिति के एक सदस्य के समक्ष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे को प्रस्तुत किया जा सकता है

- कोई निर्णय करते समय यदि समिति के सदस्यों के मध्य मतैक्य न हो, तो बहुमत की राय प्रभावी रहेगी, मगर जहाँ बहुमत नहीं, वहां अध्यक्ष की राय प्रभावी होगी
- मामले के अंतिम निपटान के समय कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होने चाहिए
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों से संबंधित सभी मुद्दों पर जांच करती है और 15 दिनों के भीतर सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाल कल्याण अधिकारियों या परिवीक्षा अधिकारियों या जिला बाल संरक्षण इकाई या एनजीओ को निर्देश देती है
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) चार महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करती है
- हर महीने बाल देखभाल संस्थानों में कम से कम दो निरीक्षण यात्राएं करना आवश्यक है
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) जांच की उचित प्रक्रिया के बाद बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करती है
- यह समिति आत्म-संज्ञान (स्यू-मोटो) लेती है और बच्चों तक पहुँचती है
- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक की ओर से प्रस्तुत किया जा सकेगा:
    - कोई भी पुलिस अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)
    - जिला बाल संरक्षण इकाई
    - कोई भी लोक सेवक
    - चाइल्ड लाइन
    - बाल कल्याण अधिकारी अथवा परिवीक्षा अधिकारी
    - कोई सामाजिक कार्यकर्ता अथवा लोक का उत्साही नागरिक
    - परिचारिका (नर्स), चिकित्सक (डॉक्टर) या नर्सिंग होम (परिचर्या गृह), अस्पताल अथवा प्रसूति गृह का प्रबंधन
    - बालक खुद

1.6.3 देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के सम्बन्ध में पारित आदेश

- जांच के बाद, बाल कल्याण समिति, एक अथवा अधिक आदेश पारित कर सकती है:
    - इस घोषणा का कि बालक को देखभाल और संरक्षण की जरुरत है
    - देखभाल के साथ या बिना, बच्चे को परिवार में वापस देना
    - बच्चे को बाल गृह/ उचित सुविधा/ पालक देखभाल या विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) में रखना
    - दीर्घावधि अथवा अस्थाई देखभाल के लिए बच्चे को योग्य व्यक्ति के साथ रखना
    - बच्चे को गोद लेने के लिए मुक्त घोषित करें
    - बच्चे को देखभाल और सहायता प्रदान करना
    - बच्चे के लिए प्रयोजनता (स्पॉन्सरशिप) का आदेश

1.7 देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के मामले में हितधारकों की भूमिका

1.7.1 पुलिस की भूमिका

- अगर बालक देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा है, पुलिस को बच्चे को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने प्रस्तुत करना होगा
- बच्चों के साथ व्यवहार करते समय, पुलिस को जहां तक संभव हो, सादे कपड़ों में रहना होगा
- भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतें उस समय तक प्रदान करें, जब तक कि बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने बच्चे को प्रस्तुत न किया जाए
- यदि आवश्यक हो, तो तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करें
- एक पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), उसके पते और बैठने के दिनों के साथ-साथ, उसके सदस्यों और अध्यक्ष के नाम, पते और फोन नंबर के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना होगा
- देखभाल और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों से व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारी के पास विभिन्न एनजीओ, बाल आश्रय गृहों, उचित संस्थान/ बाल हेल्पलाइन/ क्षेत्र में

बच्चों के साथ काम करने वालों की सूची होनी चाहिए, ताकि इन संगठनों के माध्यम से देखभाल और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों के लिए आवश्यक भावनात्मक और कानूनी सहायता प्रदान की जा सके और इस सूची की एक प्रति संबंधित थाने के एसएचओ और ड्यूटी अधिकारी के पास रखनी होगी

- देखभाल और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों से व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारी के पास बाल चिकित्सा इकाई के साथ, सरकारी अस्पतालों की एक सूची होनी चाहिए, ताकि निगरानी में रहने वाले बच्चे को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके

- कानून के अनुसार उचित जांच का संचालन करें - यदि बच्चा (अ) लापता है (ब) बाल श्रम से बचाया गया है (स) यौन शोषण का शिकार है (घ) दुर्व्यापार से बचाया गया है (द) बाल विवाह का शिकार है या बाल विवाह से बचाया गया है

1.7.2 किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका कोई विशिष्ट भूमिका नहीं

1.7.3 बाल कल्याण समिति की भूमिका

- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को यह सुनिश्चित करना है कि सत्र जारी होने पर कमरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति मामले / बच्चे के साथ असम्बद्ध न हो

- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही लोग कमरे में रहें, जिनके सामने बच्चा पहले से खुद को सुविधाजनक पाता है

- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) का कम से कम एक सदस्य हमेशा आपातकाल के किसी भी मामले पर निर्णय लेने और विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए उपलब्ध होगा

- यदि देखभाल और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों को वैध कारणों से बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो सीडब्ल्यूसी के सदस्य उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, जहां बच्चे को रखा गया है

- बच्चों के साथ संवाद करते समय, सीडब्ल्यूसी सदस्यों को बाल अनुकूल भाषा का उपयोग करना होगा और बैठकें बाल अनुकूल परिसर में आयोजित की जाएंगी

- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को समिति द्वारा निपटाए गए सभी मामलों के केस सारांश के साथ विस्तृत केस रिकॉर्ड का दस्तावेज और रखरखाव करना है

- समिति के परिसर में एक प्रमुख स्थान पर एक सुझाव बॉक्स रखें और महीने में एक बार इसकी समीक्षा करें
- सभी प्रासंगिक जानकारी के साथ डीएम को देखभाल और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों के बारे में फॉर्म 16 में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजें
- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को फॉर्म 14 में पुनर्वास कार्ड जारी करें और उनकी प्रगति की निगरानी करें
- समिति अपने सामने प्रस्तुत बच्चे से बातचीत करने के बाद, बालक को माता-पिता/ अभिभावक या बाल गृह या उचित व्यक्ति/ उचित सुविधा के साथ रखने के आदेश पारित करेगी
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को अपने सामने प्रस्तुत बालक के लिए तत्काल चिकित्सा परीक्षण के आदेश पारित करने होंगे
- अपने अधिकार क्षेत्र का पता लगाने के लिए बच्चे की उम्र निर्धारित करें
- जब बच्चा समिति के सामने पेश किया जाता है, तो समिति सामाजिक जांच रिपोर्ट के संचालन के लिए सामाजिक कार्यकर्ता / केस कार्यकर्ता / बाल कल्याण अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन को मामला सौंपेगी
- संबंधित व्यक्ति / संगठन को एक व्यक्तिगत देखभाल योजना और पुनर्वास योजना विकसित करने के आदेश पारित करें
- बच्चे को रिहा करने या बहाल करने से पहले बच्चे के साथ-साथ माता-पिता को काउंसलर के पास भेजें चिकित्सा रिपोर्ट, सामाजिक जांच रिपोर्ट और समिति द्वारा पारित किसी भी अन्य रिपोर्ट या आदेश सहित प्रत्येक बच्चे के उचित रिकॉर्ड बनाए रखें
- लंबित जांच के सभी मामलों में, समिति को बच्चे की उपस्थिति की अगली तारीख सूचित करनी होगी, जिसका समय पिछली तारीख से 15 दिनों से अधिक नहीं होगा
- प्रत्यक्ष व्यक्ति या संस्था, जिसके साथ बच्चे को उसके पुनर्वास हेतु कदम उठाने के लिए रखा गया है, जिसमें शैक्षिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल होगा
- यदि किसी बच्चे को दूसरे जिले/ राज्य या देश में भेजा जाता है, तो सीडब्ल्यूसी डीसीपीयू को अपेक्षित एजेंसियों से आवश्यक अनुमति लेने के लिए कहेगा

- मामले के अंतिम निपटान के समय, समिति सामाजिक कार्यकर्ता / केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार निपटान और व्यक्तिगत देखभाल योजना का आदेश देगी

- मामले के अंतिम निपटान के दौरान, समिति को बच्चे के फॉलो-अप के लिए एक तारीख देनी होगी, जो एक महीने से ज्यादा की नहीं होगी और बाद में अगले छह महीने तक हर महीने में एक बार

- परित्यक्त या अनाथ बच्चे के मामले में, सीडब्ल्यूसी माता-पिता या अभिभावकों का पता लगाने के लिए सभी प्रयास करेगी और यदि यह स्थापित किया जाता है कि बच्चा बिना किसी की देखभाल के अनाथ है, तो बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जाएगा

1.7.4 जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका[10]

- जिले में अनाथ, त्याग दिये गए और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों की पहचान करें और उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करें| आवश्यक होने पर इसके लिए विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) या बाल देखभाल संस्थान की सहायता ली जा सकती है

- यह सुनिश्चित करें कि जब बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जाता है, तो मुक्त घोषित किए जाने की तारीख से दस दिनों के भीतर विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) द्वारा बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड की जाती है तथा यह रिपोर्ट बच्चे को गोद लेने की संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में अपलोड की जाती है

- गोद लेने की सुविधा के लिए उसी जिले या अन्य जिलों में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) के साथ बाल देखभाल संस्थान को जोड़ने की सुविधा

- जो बच्चे गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित हैं, उनको गोद लेने की प्रगति को ट्रैक करें (पता लगायें) और जहाँ भी आवश्यकता हो, मामले को शीघ्र निपटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें

- जिले से किसी बच्चे या बच्चे को गोद लेने के लिए प्रत्येक भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन की प्रगति को ट्रैक करें, जो बच्चे को गोद लेने की संसाधन जानकारी और मार्गदर्शन प्रणाली में पंजीकृत है और जहां भी आवश्यकता हो, मामले को शीघ्र निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें

10 http://oscps.nic.in/node/10 and http://cara.nic.in/Regulation/DCPU.html

- जहां भी आवश्यकता हो, पेशेवर रूप से योग्य या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक पैनल को बनाए रखें और विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) या बाल देखभाल संस्थान की सहायता के लिए राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण (सारा) या प्राधिकरण के समर्थन से परामर्श केंद्र स्थापित करें

- किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किए गए, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के बारे में बोर्ड द्वारा भेजी गई तिमाही सूचना की रिपोर्टों और समिति द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टों का रखरखाव

- बालकों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक परामर्श और सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था करना

- बाल देखरेख संस्थानों से भागे गए बालकों का अभिलेख रखना

- जोखिम में रह रहे परिवारों और देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की पहचान करना

- कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों की संख्या का मूल्यांकन करना कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों की प्रवृत्ति और स्वरूप मानीटर करने के लिए जिला-विशिष्ट डेटाबेस तैयार करना

- संसाधन निदेशिका तैयार करने और समय-समय पर समितियों और बोर्डों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर बालकों से संबंधित सभी सुविधाओं का नियतकालिक और नियमित मानचित्र तैयार करना

- बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रायोजन, (स्पोंसरशिप), पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) और परवर्ती देखरेख (आफ्टर केयर) सहित गैर-संस्थागत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुगम बनाना

- बालकों के परिवार में उनको वापस भेजे जाने के सभी हालातों को उनके लिये सुविधाजनक बनाना

- अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना और राज्य सरकार के संबंधित विभागों तथा राज्य की राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी और राज्य की अन्य जिला बाल संरक्षण इकाइयों से संपर्क बनाना

- बाल देखरेख संस्थाओं में और अन्य संस्थागत देखरेख के अधीन मृत्यु या आत्महत्या के मामलों की जांच करना, रिपोर्टें माँगना और कार्रवाई करना तथा राज्य बाल संरक्षण

सोसाइटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- बाल सुझाव पेटिका में मिली बालकों की शिकायतों और उनके सुझावों की जाँच करना और उपयुक्त कार्रवाई करना
- संस्थागत देखरेख में गुमशुदा बालकों के जिला स्तरीय डाटाबेस का रखरखाव करना और उसे नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करना तथा मुक्त आश्रयों की सुविधा ले रहे बालकों और पालन-पोषण देखरेख में रखे गए बालकों के जिला स्तरीय डाटाबेस का रखरखाव करना

1.7.5 गैर सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) की भूमिका

- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा निर्देश दिये जाने पर सामाजिक जांच रिपोर्ट का संचालन करें
- यदि किसी गैर सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) के पास प्रोबेशन, केस वर्क, काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक सत्र प्रदान करने में सहायता प्रदान करने के संसाधन या क्षमताएं हैं, तो यह सरकार के पैनल में खुद को नामांकित कर सकता है
- व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करें और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को प्रस्तुत करें, यदि सीडब्ल्यूसी द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाए

1.8 बच्चों के खिलाफ अपराध

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 स्पष्ट रूप से बच्चों के खिलाफ अपराध और उस अपराध के लिए सजा देता है (धारा 74-85)।

अपराध	दंड
बालक की पहचान के प्रकटन का प्रतिषेध (धारा 74)	बच्चे की पहचान को प्रकट करने वाले व्यक्ति को छह माह तक की सजा अथवा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा
बच्चे के साथ क्रूरता (धारा 75)	पांच वर्ष तक की सजा और पांच वर्ष तक का जुर्माना| अगर बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है या मानसिक रूप से बीमार है तो कठोर कारावास, जो तीन साल से कम का नहीं होगा, मगर जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकेगा और साथ ही पांच लाख रुपये तक का जुर्माना
भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन (धारा 76)	10 साल तक का कारावास और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना, यदि भीख के प्रयोजन के लिए व्यक्ति बच्चे का अंग--छेदन करता है या उसे अपंग बनाता है, तब 7 वर्ष तक का कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढाया जा सकेगा और साथ ही पांच लाख रुपये तक का जुर्माना
बालक को नशीली शराब/मादक औषधि या तम्बाकू उत्पाद देना (धारा 77)	7 वर्ष तक का कारावास और 7 लाख रुपये तक का जुर्माना
किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे से शराब/ ड्रग्स/ तंबाकू की सप्लाई करवाना (धारा 78)	7 वर्ष तक का कारावास और 7 लाख रुपये तक का जुर्माना
बाल कर्मी का शोषण (धारा 79)	5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना
अवैध रूप से बच्चे को गोद लेना या बच्चे को अवैध रूप से किसी को गोद देना (धारा 80)	3 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों

किसी प्रयोजन के लिए बालक को बेचना और पाना (धारा 81)	5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और अगर यह अपराध बच्चे के वास्तविक प्रभार वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो कारावास तीन साल से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है
शारीरिक दंड - बाल देखभाल संस्थान (चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट) में कार्यरत या प्रभारी कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को अनुशासित करने के उद्देश्य से शारीरिक दंड देता है (धारा 82)	पहले दोष पर 10 हज़ार रुपये तक के जुर्माने का और उसके बाद किये गए प्रत्येक दोष पर तीन माह तक का कारावास
बालक का उग्रवादी संगठनों अथवा अन्य वयस्कों द्वारा उपयोग (धारा 83)	7 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
नि:शक्त बच्चों पर अपराध किया जाना (धारा 85)	अपराध की निर्धारित सजा से दुगुनी सजा से दंडित

1.9 दत्तक ग्रहण[11]

केंद्रीय दत्तक संसाधन अभिकरण (कारा) भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय है और देश और अंतर-देश गोद लेने की निगरानी और विनियमन के लिए अनिवार्य है। केंद्रीय दत्तक संसाधन अभिकरण (कारा) मुख्य रूप से अपनी संबंधित/ मान्यता प्राप्त गोद लेने वाली एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने से संबंधित मामलों को देखती है। प्रत्येक राज्य के पास अधिनियम की धारा 67 के अनुसार उस विशेष राज्य में गोद लेने से निपटने के लिए राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण (सारा) होगा।

केंद्रीय दत्तक संसाधन अभिकरण (कारा) का मुख्य कार्य अंतर-राज्य और अंतर देश गोद लेने को बढ़ावा देना है और जरूरत पड़ने पर अंतर देश गोद लेने को विनियमित करना तथा गोद लेने के नियमों को बनाना है। प्रत्येक राज्य में केंद्रीय दत्तक संसाधन अभिकरण (कारा) के सामान एक

11 कशिोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधनियिम, 2015, धारा 56

अभिकरण होगा, जिसे राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण (स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी 'सारा') कहा जाएगा और यह राज्य में गोद लेने की प्रक्रिया का ख्याल रखेगा|

1.9.1 केंद्रीय दत्तक संसाधन अभिकरण (कारा) की भूमिका[12]

- देश में गोद लेने के लिए प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन
- अनिवासी भारतीयों या विदेशियों से दत्तक ग्रहण (गोद लेने) और आवेदनों की समीक्षा के संबंध में आवेदन प्राप्त करना
- अंतर-देश गोद लेने के सभी मामलों में "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जारी करना
- गोद लेने संबंधी मामलों के बारे में राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण के साथ समन्वय करना
- बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में गोद लेने के उद्देश्य से बच्चों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित एक व्यापक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए रखना

1.9.2 राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण (सारा) की संरचना[13]

राज्य सरकार के विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण (सारा) के प्रमुख होंगे और उनके निम्नलिखित सदस्य होंगे:

- दत्तक (गोद लेने) के मामलों को देखने वाले राज्य सरकार के विभाग के निदेशक, सदस्य सचिव के रूप में प्रदर्शन करेंगे
- राज्य सरकार के स्वास्थ्य या अस्पताल प्रशासन विभाग के निदेशक
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष
- विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) का प्रतिनिधि
- कम से कम दस वर्षों के लिए बाल कल्याण और संरक्षण में शामिल नागरिक समाज का एक सदस्य

12 http://cara.nic.in/Regulation/CARA.html

13 http://cara.nic.in/Regulation/SARA.html

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक सदस्य
- गवर्निंग बॉडी गोद लेने के काम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी

1.9.3 राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण (सारा) का कार्य[14]

- राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण (सारा) राज्य में गोद लेने के कार्यक्रम को बढ़ावा देने, सुविधा, निगरानी और विनियमन में शामिल है
- प्रत्येक जिले में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) के रूप में एक या एक से अधिक बाल देखभाल संस्थानों को मान्यता देने की सिफारिश
- राज्य में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) के संपर्क विवरण प्रकाशित करना और हर पांच साल में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) की मान्यता के नवीकरण की सिफारिश करना
- अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) के दत्तक ग्रहण कार्यक्रम और गतिविधियों का निरीक्षण और निगरानी करना
- बाल कल्याण संस्थानों की पहचान करना, जिन्हें विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और उन्हें राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण (सारा) से जोड़ना
- गोद लेने वाले बच्चों, संभावित दत्तक माता-पिता, देश के भीतर और बाहर गोद दिये जाने वाले बच्चों का बाल दत्तक संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली में एक राज्य-विशिष्ट डेटाबेस बनाए रखना
- सुनिश्चित करना कि राज्य में जिन बच्चों को भी गोद लिया जाता है, वे सभी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और नियमों के अनुसार गोद लिए जाते हैं

1.1.4 **विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा), धारा 65**

- राज्य सरकार अनाथ, त्याग दिये गए या खुद को समर्पित करने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिले में संस्थानों या संगठनों को विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) के रूप में पहचान देगी। गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किए गए बच्चों को विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) में रखा जाएगा

14 http://cara.nic.in/Regulation/SARA.html

- 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, जो गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं, को गोद लेने के लिए विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) में रखा जाएगा, ताकि प्राथमिक रूप से उन पर ध्यान दिया जा सके|
- 6-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, जो कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन दो साल के भीतर नहीं अपनाए जाते हैं, उन्हें परिवार पालक देखभाल या समूह पालक देखभाल में रखा जा सकता है
- 8-18 वर्ष की आयु के बच्चे, जो गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन एक वर्ष के भीतर नहीं अपनाए जाते हैं, उन्हें पालक देखभाल में रखा जा सकता है

1.9.5 भावी दत्तक माता-पिता की योग्यता (धारा 57)

- भावी दत्तक माता-पिता को एक बच्चे की देखभाल करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से उपयुक्त (फिट) और आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए
- युगल (कपल्स) के मामले में, दोनों भागीदारों की सहमति अनिवार्य है
- कोई अकेला पुरुष बालिका को गोद नहीं ले सकता

1.10.1 कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का पुनर्वास

- प्रेक्षण गृह: जिन बच्चों ने अपराध किया है, उन्हें जांच के दौरान प्रेक्षण गृह में रखा जाता है
- विशेष गृह: जो बच्चे बोर्ड द्वारा अपराध करते पाए जाते हैं, उन्हें उस अवधि तक के लिए विशेष गृह में रखा जाता है, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश दिया जाता है
- सुरक्षा का स्थान: एक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 16-18 वर्ष की आयु के बच्चे, जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हैं या यह पाया गया है कि उन्होंने कोई जघन्य अपराध किया है, उन्हें पुनर्वास के लिए उस समय तक सुरक्षा के स्थान पर रखा जाता है, जिस समय तक के लिए किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश दिया जाता है

1.10.2 देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों का पुनर्वास

- मुक्त शरणालय: ओपन शेल्टर (मुक्त शरणालय) अल्प अवधि के आधार पर बच्चों के लिए काम करता है तथा समुदाय आधारित आवासीय सहायता' प्रदान करता है| यदि कोई बच्चा 24 घंटे से अधिक समय तक ओपन शेल्टर में रहता है, तो सी०डब्ल्यू०सी० के सामने पेश किया जाना चाहिए, ताकि उसके पास ठहरने के लिए अधिक वैकल्पिक स्थान हों

- पालक देखभाल: देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को पालक देखभाल या समूह पालक देखभाल में रखा जा सकता है, जहां बच्चा पारिवारिक वातावरण में रहता है

- बाल गृह: एक बच्चा, जिसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसे बाल गृह में रखा जा सकता है

- विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण: एक बच्चा, जिसे गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जाता है, उसे विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) में रखा जाता है और भावी माता-पिता द्वारा गोद लेने के लिए बच्चे का विवरण केन्द्रीय दत्तक संसाधन अभिकरण (कारा) पोर्टल में ऑनलाइन उपलब्ध होता है

2.1 बाल शोषण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू०एच०ओ०) के अनुसार, बाल शोषण का अर्थ है, "शारीरिक और/या भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन शोषण, उपेक्षा या लापरवाहीपूर्ण व्यवहार अथवा व्यावसायिक या शोषण के अन्य सभी रूप, जिसके परिणामस्वरूप जिम्मेदारी, विश्वास या शक्ति के सन्दर्भ में बच्चे के स्वास्थ्य, अस्तित्व, विकास या गरिमा को वास्तविक या संभावित नुकसान होता है|"[15]

बाल शोषण बच्चे के बुनियादी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है तथा इसे आगे निम्न भागों में बांटा जा सकता है –

1) शारीरिक शोषण
2) यौन शोषण
3) भावनात्मक शोषण
4) उपेक्षा

2.2 बाल यौन शोषण

बाल यौन शोषण एक बड़ी समस्या है, जिसका सामना हमारा देश कर रहा है| भारत में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने 2007 में बाल शोषण के सम्बन्ध में एक अध्ययन करवाया था| इस सर्वेक्षण में शामिल 53% बच्चों ने कहा कि उन्हें किसी न किसी रूप में यौन शोषण का शिकार होना पड़ा है| यह आंकड़ा समस्या की व्यापकता और बाल यौन शोषण के मामले में बात करता है| यह समस्या और भी भयावह है, क्योंकि समाज में यह वर्जना है कि, "न इसके बारे में किसी को बताना, न इस बारे में बोलना|" इसके कारण अनेक बार मामले दर्ज ही नहीं किए जाते|

विभिन्न स्वतंत्र रिपोर्टों से पता चलता है कि न केवल लडकियां, बल्कि लड़के भी यौन शोषण का शिकार होते हैं और ज्यादातर उदाहरणों में दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति बच्चे को जानता है| महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन 'बाल दुर्व्यवहार: भारत 2007' के प्रकाशन के

15 «चाइल्ड एब्यूज एंड नेगलेक्ट बाये पेरेंट्स एंड अदर केयर गिवर्स (पीडीएफ), वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन , पृष्ठ 3. आर्चिव्ड, फ्रॉम द ओरिजिनल ऑन 4 मार्च, 2016 (Child abuse and neglect by parents and other caregivers" (PDF). World Health Organization. Archived (PDF) from the original on 4 March 2016.

बाद बाल यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक कानून लाने की आवश्यकता महसूस की गई और इसीलिए 'लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' 2012 में लागू हुआ|

2.3 पोक्सो अधिनियम, 2012

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंसिस एक्ट, 2012) का संक्षिप्त रूप पोक्सो है| इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को उन वयस्क लोगों से बचाना है, जो उनका शोषण करते हैं| इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया, जो 16 अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ| इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:

- 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है
- यह लिंग निरपेक्ष अधिनियम (जेंडर न्यूट्रल एक्ट) है
- बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए अपराध की रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और शीघ्र परीक्षण (ट्रायल) हेतु बाल मित्र प्रक्रियाएं प्रदान करता है
- प्रवेशन लैंगिक हमला (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट), गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला (एग्रेवेटिड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट), लैंगिक हमला (सेक्सुअल असाल्ट), गुरुतर लैंगिक हमला (एग्रेवेटिड सेक्सुअल असाल्ट) के मामलों में सबूत का भार आरोपी पर है
- बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य है

2.3.1 पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत यौन अपराध की श्रेणियां

अधिनियम के तहत अपराध और उसके लिए सजा के प्रावधान

अपराध	दंड
धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट) एक व्यक्ति जब – 1) किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग प्रवेश करता है या बच्चे को उसके साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या 2) किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा (वेजाइना, पेनिस, एनस) में कोई वस्तु या शरीर का अंग, जो लिंग नहीं हो, प्रवेश करता है या बच्चे को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है; या 3) बच्चे के शरीर के किसी अंग को इस तरह से काम में लेता है, जिससे कि बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या 4) वह बच्चे के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपने मुँह को लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे से ऐसा कराता है तो ऐसा व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट) करता है।	धारा 4 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना (यदि बालक की अवस्था 16 वर्ष से कम है, तो कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा और जुर्माना।)
धारा 5 उत्तेजित (गुरुतर) प्रवेशन लैंगिक हमला (एग्रेवेटिड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट) बच्चे के संरक्षण एवं देखभाल के लिए जिम्मेदार परिवार के व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल (सशस्त्र सेनाओं के सदस्य), डॉक्टर, अध्यापक, लोक सेवक या बाल गृह के कर्मचारी बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध करते हैं, तो उन परिस्थितियों में यह अपराध 'गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले' की श्रेणी में आता है। इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां अपराधी बच्चे का संबंधी हो, या हमले से बच्चे के यौन अंग (सेक्सुअल ऑर्गेन्स) घायल हो जाएं या बच्ची गर्भवती हो जाए, इत्यादि। गंभीर प्रवेशन यौन हमला की परिभाषा में दो आधार और हैं- (i) हमले के कारण बच्चे की मौत, और (ii) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला।	धारा 6 कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा और जुर्माना या मृत्युदंड। (इस तरह का जुर्माना केवल तब उचित और न्यायसंगत होगा, जब उस जुर्माने की राशि पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए उपयोग में आएगी।)
धारा 7 लैंगिक हमला (सेक्सुअल असाल्ट) जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क होता है, तो वह लैंगिक हमला करता है।	धारा 8 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना

धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला (एग्रेवेटिड सेक्सुअल असाल्ट) लैंगिक हमले का अपराध उन परिस्थितियों में 'गुरुतर लैंगिक हमले' की श्रेणी में आता है, जब अधिक तीव्रता से और कुछ निर्दिष्ट स्थितियों के तहत किया जाता है| इस अपराध के तहत 'यौन हमले' में वे कार्य शामिल हैं, जिनमें कोई व्यक्ति प्रवेश के बिना किसी बच्चे के वेजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट को छूता है। 'गंभीर यौन हमले' में ऐसे मामले भी शामिल हैं, जिनमें अपराधी बच्चे का संबंधी होता है या जिनमें बच्चे के यौन अंग (सेक्सुअल ऑर्गेन्स) घायल हो जाते हैं, इत्यादि। गंभीर यौन हमले की परिभाषा में दो आधार और हैं- (i) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, और (ii) जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चे को हारमोन या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना।	धारा 10 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना -
धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न (सेक्सुअल हैरसमेंट) जब कोई यौन आशय से – 1) कोई शब्द/आवाज/संकेत करता है या कोई ऐसी वस्तु या शरीर का अंग प्रदर्शन करता है 2) बच्चे से उसका शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को दिखाने को कहता है 3) अश्लील लेखन के प्रयोजनों के लिए किसी रूप में या मीडिया में बच्चे को कोई वस्तु दिखाता है 4) या तो सीधे ही या इलेक्ट्रोनिक, डिजीटल या किसी अन्य तरीके के जरिये बच्चे का बार-बार या लगातार पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है 5) मीडिया के किसी भी रूप में, यौन कार्य में बच्चे के शरीर के किसी अंगया बच्चे की अलिप्तता को इलेक्ट्रोनिक, फिल्म या डिजीटल या किसी अन्य तरीके के जरिये वास्तविक या काल्पनिक चित्रण का उपयोग करने की धमकी देता है 6) अश्लील साहित्य के प्रयोजनों एवं यौन संतुष्टि के लिए बच्चे को फुसलाता या लुभाता है तो वह लैंगिक उत्पीड़न (सेक्सुयल हैरसमेंट) का अपराध करता है|	धारा 12 3 साल तक की सजा और जुर्माना
धारा 13 अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग अगर कोई व्यक्ति यौन सुख पाने के लिए किसी बालक का प्रयोग पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) के लिए करता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी बालक का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा| पोर्नोग्राफिक उद्देश्य, जैसे कि– • टी०वी० चैनल • विज्ञापन • इंटरनेट किसी इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित प्रारूप (प्रिंटेड फॉर्मेट) द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन (चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं)	धारा 14 पहले अपराध पर पाँच साल तक की सजा और जुर्माना; दुबारा वही अपराध करने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना

धारा 15 पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) सामग्री का संग्रह जो कोई भी व्यक्ति • ऐसी किसी भी अश्लील सामग्री को जमा करते हैं या अपने पास रखते हैं, जिसमें बच्चा शामिल है और उस सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं; या • जो कोई भी सामग्री को आगे प्रेषित करने या उसका प्रचार करने के लिए सामग्री जमा करते हैं, या • व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अश्लील साहित्य को जमा करते हैं, तो वह पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) सामग्री के संग्रह का अपराध करते हैं|	धारा 16 • पहले अपराध पर 5,000 रुपए का जुर्माना और दूसरे अथवा उसके बाद अपराध किए जाने पर 10, 000 रुपए का जुर्माना • जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक के कारावास की सज़ा • पहले अपराध पर तीन से पाँच साल तक की सजा; दुबारा वही अपराध करने पर 7 साल तक की सजा
धारा 17 किसी अपराध के लिए उकसाना – उपरोक्त किसी भी अपराध के लिए उकसाना भी एक अपराध है| यदि कोई दुष्प्रेरित काम उकसाने के बाद किया जाता है, तो यह दंडनीय है	उस सज़ा के लिए दंडित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए प्रदान की गई है
धारा 18 किसी अपराध को करने का प्रयास – जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है या किसी अपराध को करवाता है और ऐसे प्रयास में अपराध करने हेतु कोई कार्य करता है, तो यह दंडनीय है	ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो आजीवन कारावास के आधे तक का हो सकेगा या उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिक-तम अवधि के आधे तक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित
धारा 21 – इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने वाले किसी अपराध की सूचना नहीं देना	छह महीने तक के कारावास और/ या जुर्माने से दंडित किया जाएगा

धारा 22 – कोई व्यक्ति, जो धारा 3 (प्रवेशन लैंगिक हमला), धारा 5 (गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला), धारा 7 (लैंगिक हमला, धारा 9 (गुरुतर लैंगिक हमला) के अधीन किये गए किसी अपराध के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, धमकाने या उसकी मानहानि करने के उद्देश्य से उसके बारे में झूठ बोलेगा या झूठी सूचना देगा i. यदि झूठी शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति बच्चा है, तो ऐसे बच्चे पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा ii. जो कोई बालक नहीं होते हुए भी, किसी बालक के विरुद्ध कोई झूठी बात बोलेगा या यह जानते हुए भी कि उसकी सूचना झूठी है, वह यह झूठी सूचना देगा, जिसके कारण इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध में ऐसा बालक पीड़ित होगा, दंडनीय है।	छह मास तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित ऐसा व्यक्ति एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा
धारा 23 – कोई व्यक्ति, जो बालक के संबंध में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट या टीका-टिप्पणी करता है, जिससे बच्चे की प्रतिष्ठा का हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है या मीडिया की किसी भी रिपोर्ट से बच्चे की पहचान, जैसे कि – नाम, पता, चित्र, पारिवारिक विवरण, विद्यालय, पड़ोस या अन्य किसी भी विवरण का खुलासा होता है,	छह मास से एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित

2.3.2 पोक्सो के मामलों की रिपोर्टिंग[16]

बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट न करना धारा 21 के तहत दंडनीय है तथा इस अपराध के लिए छह माह तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है| जो ऐसे अपराध की जानकारी रखता है, उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए तथा साथ ही निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए:

- पुलिस को प्रत्येक शिकायत की एक प्रविष्टि संख्या देनी चाहिए और इसे लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए
- पुलिस द्वारा शिकायत करने वाले को सूचना पढ़कर सुनाई जानी चाहिए
- यदि यह शिकायत किसी बच्चे द्वारा की जाती है, तो वह सरल भाषा में दर्ज की जानी चाहिए
- यदि मामला उस भाषा में दर्ज किया जाता है, जिसे बच्चा नहीं समझ सकता, तो बच्चे को एक अनुवादक या दुभाषिया उपलब्ध कराया जाना चाहिए
- जहाँ विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस०जे०पी०यू०) को यह लगता है कि जिस बालक के विरुद्ध अपराध किया गया है, उसे देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तब एस०जे०पी०यू० बालक को उन परिस्थितियों में 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (सी०डब्ल्यू०सी०) के समक्ष पेश करेगा, जिन परिस्थितियों में अपराधी परिवार का सदस्य है, या पीड़ित के साथ एक ही आवास साझा करता है या परिवार के साथ बच्चे को रखने से बच्चे को और अधिक नुकसान हो सकता है
- पुलिस सभी मामलों की जानकारी बाल कल्याण समिति (सी०डब्ल्यू०सी०) को देगी

पोक्सो अधिनियम में झूठी शिकायत या झूठी सूचना के खिलाफ दंड का भी प्रावधान है, जिसके लिए छह माह तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है| हालाँकि, किसी अन्य बच्चे द्वारा झूठी शिकायत किए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी| (धारा 22)

16 धारा 19, पोक्सो अधिनियम, 2012

2.3.3 बयान की रिकॉर्डिंग और परीक्षण की प्रक्रिया

- बच्चे का बयान बच्चे के निवास स्थान पर या उस स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए, जहाँ वह सहज है और जहाँ तक संभव हो, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं हो
- बयान दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होना चाहिए
- यदि आवश्यक हो, तो अनुवादक या दुभाषिया की मदद लेनी चाहिये
- बच्चे को किसी भी कारण से रात में पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाना चाहिए
- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि बच्चे की पहचान सार्वजनिक या मीडिया के सामने जाहिर न की जाये
- पुलिस को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए और इस बात की परवाह किए बिना बच्चे को मेडिकल जांच के लिए ले जाना चाहिए कि उस मामले में एफ०आई०आर० दर्ज की गई है या नहीं
- बालिका के मामले में, चिकित्सा परीक्षा महिला चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए
- बच्चे के साक्ष्य को विशेष अदालत द्वारा मामले का साक्ष्य लिये जाने के 30 दिन के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए तथा विशेष न्यायालय, यथासंभव, अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक साल के भीतर विचरण को पूरा करेगा[17]
- बाल न्यायालय/ विशेष न्यायालय को इस तथ्य का ध्यान रखना है कि बच्चे के किसी भी प्रकार के सबूत को दर्ज करते समय उसे आरोपी के सामने प्रदर्शित नहीं किया जाए[18]
- बाल न्यायालय/ विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में (इन-कैमरा) और बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा, जिस पर बालक को विश्वास या भरोसा है

17 धारा 35, पोक्सो अधिनियम, 2012

18 धारा 36, पोक्सो अधिनियम, 2012

2.4 बाल यौन शोषण के मामलों में विभिन्न हितधारकों की भूमिका

2.4.1 पुलिस की भूमिका

- सूचना दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी को तुरंत उसका नाम, पदनाम, पता और टेलीफोन नंबर और पर्यवेक्षण अधिकारी का विवरण मुखबिर (सूचना देने वाले) को देना होगा।
- जैसे ही स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस०जे०पी०यू०) को किसी अपराध की सूचना मिलती है या इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के किए जाने की संभावना है, तो वह तुरंत एक प्राथमिकी (एफ०आई०आर०) दर्ज करेगा और उसी व्यक्ति से प्रतिलिपि साझा करेगा, जिसने अपराध की रिपोर्ट की है
- पुलिस को दर्ज जानकारी के लिए एक प्रविष्टि संख्या लिखनी चाहिए
- पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज बयान को बच्चे को पढ़कर सुनाया और समझाया जाना चाहिए

- पुलिस को सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए ताकि बच्चा रिकॉर्ड की जा रही सामग्री को समझने में सक्षम हो सके
- बच्चे के बयान को उसके घर पर ही या उसकी सुविधा के स्थान पर एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उपनिरीक्षक के पद से नीचे नहीं होगी, रिकॉर्ड किया जाना चाहिए
- बच्चे की बात को रिकॉर्ड करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होना चाहिए
- बच्चे को किसी भी कारण से रात में पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाना चाहिए
- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे की पहचान जनता और मीडिया में जाहिर न हो
- पुलिस अधिकारी बच्चे के बयान को रिकॉर्ड करते समय अनुवादक या दुभाषिया की सहायता ले सकते हैं
- पुलिस को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए और बच्चे को चिकित्सा जाँच की सुविधा प्रदान करनी चाहिए|
- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फोरेंसिक परीक्षणों के लिए एकत्र किए गए नमूनों को तुरंत फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया है या नहीं
- पुलिस को उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में बच्चे और उसके माता-पिता या अभिभावक को

सूचित करना चाहिए और एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए| यदि बच्चा देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाला बच्चा है, तो विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस०जे०पी०यू०)/ स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर बच्चे को इस तरह की देखभाल प्रदान कराना है| यदि बच्चे के पास कोई घर नहीं है, तो बच्चे को बाल गृह में रखने के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए

- पुलिस को बच्चे को वित्तीय सहायता/ अंतरिम मुआवजे का अधिकार दिलाने के लिए सभी मामलों की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति (सी०डब्ल्यू०सी०) और विशेष अदालत को 24 घंटे के भीतर देनी चाहिए
- बाल देखभाल संस्थान (सी०डब्ल्यू०सी०) बच्चे को एक सहायक व्यक्ति प्रदान कर सकता है और ऐसे मामलों में, जहाँ समर्थक व्यक्ति प्रदान किया जाता है, पुलिस को 24 घंटे के भीतर लिखित रूप में विशेष अदालत को सूचित करना चाहिए
- पुलिस को बच्चे और उसके माता-पिता या अभिभावक या उस व्यक्ति को सूचित करना चाहिए, जिस पर बच्चे को मामले के विकास के बारे में भरोसा है
- पीड़ित मुआवजा लाभ के बारे में सूचित करना चाहिए

2.4.2 किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका[19]

- यदि अपराधी एक बच्चा है, तो बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड (जे०जे०बी०) के समक्ष पेश किया जाएगा तथा जे०जे०बी० किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (धारा 56) के अनुसार जांच प्रक्रिया शुरू करेगा

2.4.3 बाल कल्याण समिति की भूमिका

- यदि विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस०जे०पी०यू०) अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और यह आशंका है कि अपराध उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो साथ में रहता है या बच्चे के साथ घर साझा कर रहा है या बच्चा बाल देखभाल संस्थान में रह रहा है या बच्चा बिना किसी घर या बिना माता-पिता की देखभाल के है, तो विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस०जे०पी०यू०) को 24 घंटे के भीतर बच्चे को बाल देखभाल संस्थान (सी०डब्ल्यू०सी०) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा| बाल देखभाल संस्थान (सी०डब्ल्यू०सी०) तब किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 31 के अनुसार बच्चे की देखभाल करेगा

19 महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों के मामलों के लिए एसओपी

- बाल देखभाल संस्थान (सी०डब्ल्यू०सी०) को तीन दिनों के भीतर यह तय करना होगा कि क्या बच्चे को माता-पिता/ अभिभावकों की निगरानी से बाहर निकालने की जरुरत है और उसे बाल देखभाल संस्थान में भेजा जाये या यदि बच्चा पहले से ही किसी संस्था में है, तो बाल देखभाल संस्थान (सी०डब्ल्यू०सी०) बच्चे के स्थान को बदलने का निर्णय ले सकती है
- बच्चे के बारे में निर्णय लेने में, सी०डब्ल्यू०सी० को बच्चे द्वारा साझा की गई किसी भी प्राथमिकता या राय को ध्यान में रखना है
- बाल देखभाल संस्थान (सी०डब्ल्यू०सी०) द्वारा लिए गए सभी निर्णयों में प्राथमिक विचार के रूप में बच्चों के सर्वोत्तम हित का ध्यान होना चाहिए
- बाल देखभाल संस्थान (सी०डब्ल्यू०सी०) रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद और बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावक या किसी ऐसे व्यक्ति की सहमति के साथ, जिस पर बच्चा भरोसा करता है, जांच की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति प्रदान करने का आदेश दे सकता है
- समर्थक व्यक्ति की सेवाओं को बाल देखभाल संस्थान (सी०डब्ल्यू०सी०) द्वारा बच्चे या उसके माता-पिता/ अभिभावक के अनुरोध पर समाप्त किया जा सकता है
- हर उस रिपोर्ट पर ध्यान दें, जो पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत पुलिस द्वारा बाल देखभाल संस्थान (सी०डब्ल्यू०सी०) को की जाती है

2.4.4 जिला बाल संरक्षण इकाई (डी०सी०पी०यू०) की भूमिका[20]

- जिला बाल संरक्षण इकाई को व्याख्याताओं, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों के नाम, पते और अन्य संपर्क विवरणों के साथ एक रजिस्टर बनाए रखना होगा और इस सूची को विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस०जे०पी०यू०), बाल कल्याण समिति (सी०डब्ल्यू०सी०) और किशोर न्याय बोर्ड (जे०जे०बी०) के साथ साझा करना होगा
- प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई (डी०सी०पी०यू०) के जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डी०सी०पी०ओ०) ऐसे व्यक्तियों/ गैर सरकारी संगठनों की सूची बनाए रखने के लिए हैं, जिन्हें काउंसलर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और बच्चे की सहायता के लिए व्यक्तियों का समर्थन कर सकते हैं
- प्रवेशन लैंगिक हमला (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट) और सभी गंभीर मामलों में, जहाँ

20 http://nipccd.nic.in/reports/posco/dcp.pdf

तक संभव हो सके, बच्चे को परामर्श सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए| जहाँ मौजूदा आई०सी०पी०एस० ढांचे के भीतर कोई काउंसलर उपलब्ध नहीं है, राज्य सरकार अनुबंध के आधार पर बाहरी काउंसलर की नियुक्ति को अपने लिए सुरक्षित कर सकते हैं

- प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई (डी०सी०पी०यू०) उन व्यक्तियों की सूची बनाए रखेगा, जिन्हें बच्चे की सहायता के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है| परामर्शदाताओं के भुगतान की दरें जिला बाल संरक्षण इकाई (डी०सी०पी०यू०) द्वारा तय की जाएंगी

- डी०सी०पी०यू० द्वारा नियोजित सहायक व्यक्ति प्रदान करके सी०डब्ल्यू०सी० को सुविधा प्रदान करना, जिसमें कानूनी सह परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता या आउटरीच कार्यकर्ता समर्थक व्यक्ति भी शामिल हैं

- जिला बाल संरक्षण इकाई (डी०सी०पी०यू०) और बाल कल्याण समिति (सी०डब्ल्यू०सी०) को ऐसे व्यक्तियों/ गैर सरकारी संगठनों की सूची बनाये रखनी चाहिए, जिन्हें बच्चे की सहायता के लिए सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है

3.1 बाल विवाह

बाल विवाह का अर्थ होता है, एक विवाह जिसमें वर या वधू एक बच्चा हो। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार, ऐसी कोई भी शादी जहां दुल्हन की उम्र 18 साल से कम हो और/या दूल्हे की उम्र 21 से कम हो, उसे बाल विवाह माना जाता है।

बाल विवाह को रोकने के लिए भारत में जो कानून पहले अधिनियमित किया गया था, उसे बाल विवाह निवारण अधिनियम (सी०एम०आर०ए०) 1929 कहा गया, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत, 15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह की मनाही थी। वर्ष 1978 में, अधिनियम में संशोधन किया गया और लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों के लिए इसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया।

बाल विवाह की परिभाषा को भारत ने पिछली बार 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के साथ अद्यतन (अपडेट) किया था, जो केवल लागू होता है -

(ए) हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध तथा जो भारत के गैर-मुस्लिम हैं, और

(b) जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर

3.2 बाल विवाह पर आंकड़े

- भारत में 42% विवाहित महिलाओं की शादी तब की गई, जब वे बच्ची थीं (जिला शिक्षा सूचना प्रणाली {डी०आई०एस०ई०})
- यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की हर तीन बाल वधुओं में से एक भारत की लड़की है
- भारत में 15 साल से कम उम्र की 45 लाख से अधिक लड़कियां हैं, जो विवाहित हैं और उनके बच्चे हैं| इनमें से 70% लड़कियों के दो बच्चे हैं (जनगणना 2011)
- एशिया में, बांग्लादेश के बाद भारत में बाल वधुओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है[21]
- 2011 की जनगणना के अनुसार, बाल विवाह की अधिकतम संख्या झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से बताई जाती है

21 https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/atlas/#/

3.3 बाल विवाह के कारण

बालिकाओं को बोझ समझना: कई भारतीय परिवार एक बालिका को वित्तीय बोझ मानते हैं और उन्हें लगता है कि जल्दी शादी करने से उनका आर्थिक बोझ कम होगा और दहेज की राशि भी कम होगी

असुरक्षा की भावना: कई परिवारों को लगता है कि वे बालिकाओं की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिए कम उम्र में उनकी शादी करना बेहतर है। बाल विवाह कई माता-पिता द्वारा एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में देखा जाता है।

लड़की की उम्र अधिक, दहेज अधिक: देश के कई हिस्सों में, युवा लड़कियों से कम दहेज की मांग की जाती है और लड़की की उम्र अधिक होती है, तो दहेज की राशि बढ़ जाती है।

3.4 बाल विवाह के परिणाम

वाल विवाह मातृ और बाल मृत्यु दर को बढ़ाता है: 18 वर्ष की आयु से पहले बालिका का पूर्ण विकास नहीं होता है। विवाहित होने और पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले गर्भवती होने से, माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होती है और मातृ और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है।

बाल अधिकारों का उल्लंघन: बाल विवाह बाल अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि बच्चे को शिक्षा के बुनियादी अधिकारों और उनकी पूर्ण क्षमता के विकास से वंचित कर दिया जाता है

ख़राब स्वास्थ्य: उसका जल्दी शादी करना उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा असुरक्षित यौन संबंध, सर्वाइकल कैंसर और प्रसव के दौरान मृत्यु के कारण यौन संचारित रोगों की संभावना बढ़ जाती है।

घरेलू हिंसा के बढ़ते उदाहरण: बाल विवाह के मामले में घरेलू हिंसा/ अंतरंग साथी से हिंसा की घटनाओं में वृद्धि होती है

3.5 अगर बाल विवाह हो रहा है, तो कौन शिकायत कर सकता है?

- कोई भी बाल विवाह के खिलाफ शिकायत कर सकता है, चाहे बाल विवाह पहले हो चुका हो अथवा भविष्य में उसके होने की तैयारी की जा रही हो

- बाल विवाह होने की जानकारी या शिकायत होने पर, या इसके होने की संभावना पर न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकती है
- बाल विवाह को रोकने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत स्यू-मोटो कार्यवाही कर सकते हैं
- अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर सामूहिक बाल विवाह को रोकने के लिए, जिलाधिकारी को सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) की सभी शक्तियों के साथ सी०एम०पी०ओ० माना जाएगा

3.6 बाल विवाह को शून्य कैसे बनाया जा सकता है

- बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए याचिका जिला अदालत में विवाह के एक पक्ष (बालक या बालिका) द्वारा दायर की जा सकती है, जो विवाह के समय बच्चा था
- यदि याचिका करने वाला नाबालिग है, तो याचिका नाबालिग की ओर से सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) के साथ-साथ माता-पिता/ अभिभावक द्वारा दायर की जा सकती है
- याचिका बालक-बालिका द्वारा वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात 2 वर्ष पूरा करने के भीतर दायर की जा सकती है, यानी लड़के 23 साल की उम्र में और लड़कियां 20 साल में

3.7 परिस्थितियाँ, जब बाल विवाह अपने-आप शून्य हो जाता है

- अगर बच्चे को उसके वैध अभिभावक से दूर ले जाया जाता है और उसकी शादी की जाती है
- यदि बच्चे की शादी बलपूर्वक या धोखे से कराई गई है
- यदि बच्चा विवाह के उद्देश्य से बेचा जाता है
- अगर बच्चा शादीशुदा है और फिर बेच दिया जाता है या उसका दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है
- न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन कर विवाह की तैयारी की जाती है

3.8 रखरखाव और अभिरक्षा के लिए प्रावधान

- यदि दूल्हा नाबालिग है, तो उसके माता-पिता या अभिभावकों को अदालत द्वारा निर्देश दिया जा सकता है कि वह लड़की का पुनर्विवाह होने तक उसे रखरखाव शुल्क का भुगतान करें
- रखरखाव के लिए जो राशि दी जानी है, उसका निर्णय अदालत द्वारा किया जाएगा| न्यायालय मासिक या एक मुश्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है
- इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में, बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे सरकार के सभी देखभाल और सहायता कार्यक्रमों के लिए वैध और योग्य माने जाएंगे
- न्यायालय बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे की निगरानी/ अभिरक्षा के संबंध में आदेश देगा, जो बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा

3.9 किसे सजा हो सकती है और सजा की मात्रा

वयस्क पुरुष, जो 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका से शादी करता है	दो वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों[8]
कोई भी, जो बाल विवाह का सञ्चालन, कार्यक्रम का आयोजन या निर्देशन करता है	दो वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों [9]
जो कोई भी बाल विवाह को बढ़ावा देता है, उसकी अनुमति देता है या उसकी तैयारी करता है	दो वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों [10]
किसी भी महिला को कारावास नहीं दिया जाएगा	उस पर केवल जुर्माना लगाया जा सकता है

3.10 बाल विवाह रोकने में सीएमपीओ की भूमिका:

इस अधिनियम के तहत सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) को निम्न अधिकार दिए गए हैं:

- बाल विवाह पर रोक लगाना
- बाल विवाह के आयोजन में शामिल व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन (प्रोसीक्यूशन) के लिए जानकारी और सबूत एकत्र करना
- बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना
- बाल विवाह के खिलाफ समुदाय को संवेदनशील बनाना
- बाल विवाह के पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान करना
- जहाँ कोई बाल कल्याण समिति नहीं है, उन मामलों में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करना तथा सीडब्ल्यूसी या एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना

3.11 बाल विवाह से संबंधित मामलों में विभिन्न हितधारकों की भूमिका:

शिकायत प्राप्त होने पर, पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए:

- एफआईआर दर्ज करें और जांच शुरू करें
- बाल विवाह की घटना के बारे में साक्ष्य जुटाने के लिए सीएमपीओ को मामले की सूचना दें
- निषेधाज्ञा जारी हो सके, इस हेतु जिला मजिस्ट्रेट को मामले की सूचना दें
- जांच के लिए सी०एम०पी०ओ० या नियुक्त व्यक्ति का साथ दें
- अपराधी को कानून के तहत दिए गए अपराधों के लिए गिरफ्तार करना संज्ञेय और गैर-जमानती है
- बच्चे को न गिरफ्तार करें, न हथकडी लगायें

- यदि किसी मामले में सीएमपीओ या नियुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो अपराध की जगह पर जाएँ (यानि जहाँ बाल विवाह का संचालन किया जा रहा है/ या बाल विवाह आयोजित किया गया है) और आवश्यक कार्रवाई करें और यदि आवश्यक हो, तो नाबालिग के बचाव सहित कार्रवाई करें

- बच्चों के साथ व्यवहार करते समय वर्दी में होने से बचें ताकि वे सुविधा महसूस करें और उनके डर को कम किया जा सके

- बालिका से निपटने में महिला पुलिस अधिकारी के साथ ही महिला सामाजिक कार्यकर्ता/ शिक्षक / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / एएनएम / बच्चे का सबसे नजदीकी दोस्त (व्यक्ति, जिस पर बच्चा विश्वास कर सके) की उपस्थिति सुनिश्चित करें| केवल उन मामलों में, जहाँ कोई महिला अधिकारी उपलब्ध नहीं है, पुरुष पुलिस अधिकारी को बालिका के साथ बातचीत करनी चाहिए; किन्तु यह बातचीत केवल महिला सामाजिक कार्यकर्ता/ शिक्षक / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / एएनएम / बच्चे के सबसे नजदीकी दोस्त की उपस्थिति में होनी चाहिए|

- बच्चे/ नाबालिग को 24 घंटे के भीतर निकटतम बाल कल्याण समिति या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें। किशोर न्याय अधिनियम और इसके कार्यान्वयन के लिए बनाए गए नियम के तहत, बाल विवाह के शिकार बच्चे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे भी हैं

- माता-पिता/ कानूनी अभिभावकों की निगरानी से बच्चों को निकालना अंतिम उपाय होना चाहिए और केवल बच्चे के हित में लिया जाना चाहिए। ऐसे किसी भी बच्चे को पुलिस लॉक-अप या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत मान्यता प्राप्त और पंजीकृत उचित संस्थान में रखा जाना चाहिए|

गुमशुदा बच्चे[22]

4.1 गुमशुदा बच्चा

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 14 (vii) के तहत 'गुमशुदा बच्चा' देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में शामिल है

अत: एक लापता बच्चा वह है जो:

- खो गया है (परिवार से अलग),
- जिसने बिना किसी सूचना के अपना घर छोड़ दिया है
- ऐसा बच्चा, जिसका अपहरण या व्यपहरण हुआ है या जिसके साथ दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) हुआ है या जिसे छोड़ दिया गया है तथा साथ ही इन बच्चों में शामिल होंगे:
- बच्चे, जिनका पता लगाया गया
- बच्चे, जो मिल गए
- बच्चे, जो दुर्घटना, मुसीबत, आपदा और अन्य विविध कारणों से लापता हो गए / खो गये / पाये गए तथा लापता बच्चे ऐसे बालक हैं, जिनके माता-पिता, अभिभावक या कानूनी देखभालकर्ताओं को उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अत: सारांश में, जिसका ठिकाना उसके माता-पिता, कानूनी अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान को नहीं मालूम है, जिन्हें कानूनन बच्चे का दायित्व सौंपा गया है, तो उसके गायब होने की परिस्थितियाँ या कारण चाहे जो भी हों, उस बच्चे को लापता बच्चा माना जाएगा तथा उसकी देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा, जब तक कि उसकी सुरक्षा या भलाई स्थापित न हो जाये|

4.2 भारत में लापता बच्चों का आंकड़ा

- हर दिन 174 बच्चे लापता हो जाते हैं, जिनमें से आधे बच्चों का कुछ पता नहीं चलता|[23]
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०) बताता है कि 2016 तक 1,11,569 बच्चे लापता हो गए थे, जिसमें से 55,625 बच्चों का पता नहीं चला|

22 महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों के मामलों के लिए एसओपी

23 https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/250518/indias-children-174-go-missing-every-day-half-untraced.html

4.3 लापता बच्चे की रिपोर्ट कहां/ कैसे और कौन कर सकता है?

एक लापता बच्चे की रिपोर्ट उसके माता-पिता, कानूनी अभिभावक, किसी रिश्तेदार, बाल कल्याण समिति (सी०डब्ल्यू०सी०), चाइल्डलाइन 1098, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), पुलिस, लोक सेवक या बच्चे की सुरक्षा और भलाई से संबंधित किसी भी व्यक्ति या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जिसे घटना के बारे में जानकारी है| रिपोर्ट निम्न स्थान पर दर्ज की जा सकती है -

- पुलिस स्टेशन/ मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई (ए०एच०टी०यू०)/ विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस०जे०पी०यू०)
- बाल मित्र पुलिस स्टेशन
- पुलिस नियंत्रण कक्ष (पी०सी०आर०) संख्या: डायल 100
- पुलिस की कोई अन्य आपातकालीन हेल्पलाइन संख्या
- चाइल्डलाइन 1098

पुलिस को सूचना देने के बाद, लापता बच्चे की जानकारी www.trackthemissingchild.gov.in पर लॉग इन करके दर्ज की जा सकती है और लापता बच्चे को ट्रैक करने हेतु सभी हितधारकों की सहायता करने के लिए नागरिक कोने "खोया पाया" पर तस्वीर अपलोड की जा सकती है।

शिकायत दर्ज करने के अलावा गुमशुदा बच्चे की शिकायत अधिकारियों को एसएमएस करके दर्ज की जा सकती है। पुलिस को जनरल डायरी (जी०डी०) में ऐसी सभी जानकारियाँ दर्ज करनी चाहिए और कॉल करने वाले का प्राथमिक सत्यापन करना चाहिए तथा एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।

4.4 लापता बच्चे के मामले में हितधारकों की भूमिका

4.4.1 पुलिस की भूमिका[24]

- 10 मई, 2013 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत संघ (डब्ल्यू०पी० (सिविल) 2012 का 75) में, पुलिस को 'गुमशुदा बच्चे के बारे में शिकायत मिलने पर, एफआईआर दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) या अपहरण के मामले के रूप में दर्ज करें' बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सूचित करें और बच्चे का पता लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने हेतु प्राथमिकी (एफ०आई०आर०) को विशेष किशोर पुलिस इकाई को भेजें

24 महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों के मामलों के लिए एसओपी

- गुमशुदा बच्चे की हाल की तस्वीर लीजिए और जिला लापता व्यक्ति इकाई (डिस्ट्रिक्ट मिसिंग पर्सन्स यूनिट), लापता व्यक्ति दस्ता (मिसिंग पर्सन्स स्क्वाड), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो / मीडिया के लिए प्रतियां बनाएँ और तस्वीरों को प्रकाशित या प्रसारित करके व्यापक प्रचार करें तथा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में लापता बच्चे का वर्णन करें

- विशिष्ट निर्दिष्ट "गुमशुदा व्यक्ति सूचना फ़ॉर्म' (मिसिंग पर्सन्स इनफार्मेशन फॉर्म) भरें और तुरंत लापता व्यक्ति दस्ता (मिसिंग पर्सन्स स्क्वाड), जिला लापता व्यक्ति इकाई (डिस्ट्रिक्ट मिसिंग पर्सन्स यूनिट), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सी०बी०आई०), पीसीआर, रेलवे पुलिस और अन्य संबंधित संस्थानों को भेजें

- लापता बच्चे की तस्वीर और भौतिक विवरण युक्त 'ह्यू और क्राई' नोटिस तैयार करें और बांटें

- रूचि के क्षेत्रों और स्थानों को खोजें, जैसे कि फिल्म थिएटर, शॉपिंग मॉल, पार्क, खेल जोन (गेम पार्लर) आदि

- उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में स्थापित क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरों (सीसीटीवी) की रिकॉर्डिंग को स्कैन करें, जहाँ से बच्चे के लापता होने और सभी संभावित मार्गों, पारगमन और स्थलों पर सूचना दी गई थी

- निर्माण स्थलों, अप्रयुक्त भवनों, अस्पतालों और क्लीनिकों, 1098 और अन्य स्थानीय आउटरीच श्रमिकों, रेलवे पुलिस और अन्य स्थानों से पूछताछ करें

- लापता बच्चे का विवरण पड़ोसी राज्यों के जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारी (एस०एच०ओ०) को भेजें, जिनमें उनके अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी शामिल हैं तथा संबंधित के साथ नियमित रूप से बातचीत करें ताकि अनुवर्ती (फॉलो-अप) कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके

- www.trackthemissingchild.gov.in पोर्टल पर जानकारी अपलोड करें। यदि जानकारी पहले से अपलोड है, तो पोर्टल पर अपलोड किए गए मामले के विवरण के साथ शिकायत का मिलान करें

- निर्दिष्ट पोर्टल पर संबंधित जानकारी अपलोड करें और लापता बच्चे के माता-पिता और कानूनी अभिभावकों या बाल देखभाल संस्थान के पते और संपर्क फोन नंबर के साथ एफआईआर की कॉपी डाक / ईमेल द्वारा नजदीकी विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के कार्यालय को भेजें

- आव्रजन अधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), रेलवे और अन्य परिवहन प्राधिकरणों, प्रांतीय / क्षेत्रीय और नगरपालिका एजेंसियों, और गैर-सरकारी संगठनों, जो लापता बच्चों को ढूँढने/ बचाने/ बरामद करने की सेवा में शामिल हैं, आदि को सूचित करें
- लापता बच्चे के संबंध में विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, जोखिम मूल्यांकन किया जाना चाहिए और "जोखिम मूल्यांकन फॉर्म" को एस०एच०ओ० / अधिकारी प्रभारी द्वारा भरा जाना चाहिए

4.4.2 किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका[25]

- यदि किसी भी ऐसे बच्चे को, जो पाया गया है/ जिसका पता लगाया गया है/ जो गुमशुदा है, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के रूप में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो इस तरह के बच्चे के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, उचित जांच के बाद उसे तुरंत संबंधित सीडब्ल्यूसी द्वारा पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए
- यदि गुमशुदा/ दुर्व्यापार हुए बच्चे के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दें
- जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से बच्चे के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करें
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और नियमों के अनुसार, बालक के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना बनाएं, जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई के परिवीक्षा अधिकारी या एक गैर-सरकारी संगठन के सदस्य द्वारा अनुवर्ती (फॉलो-अप) कार्रवाई करना भी शामिल है, क्योंकि यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 8 (3) (एच) या धारा 19 (2) के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

4.4.3 बाल कल्याण समिति की भूमिका[26]

- जब एक लापता बच्चा पाया जाता है या बरामद किया जाता है और/ या यह पता चलता है कि कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा गुमशुदा बालक है, तो बच्चे को उचित दिशा के लिए समिति के समक्ष पेश करें

25 महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों के मामलों के लिए एसओपी

26 महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों के मामलों के लिए एसओपी

- यदि गुमशुदा/ दुर्व्यापार होने वाले वाले बच्चे के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो सीडब्ल्यूसी पुलिस को निर्देश देगा कि वह देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करें

- समिति के कोई भी तीन सदस्य एक साथ गायब बच्चे के किसी भी मामले का आत्मसंज्ञान (स्यू-मोटो) लें, पुलिस या मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई (ए०एच०टी०यू०) को तुरंत रिपोर्ट करें और बच्चे को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करें

- बच्चे की आवश्यकताओं का आकलन करें और बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करते हुए, बच्चे की घर वापसी या बच्चे को उचित सुविधा या उचित व्यक्ति के साथ रखने के सम्बन्ध में आदेश पारित करें या बच्चे को गोद लेने या पालक देखभाल के लिए मुक्त घोषित करें

- बच्चे के सुचारू और प्रभावी पुनर्वास की सुविधा के लिए, और किसी अन्य कानूनी सहायता के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थापक जिले के स्रोत जिले में सेवाएं संलग्न करें

- सुनिश्चित करें कि बच्चे का मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है

- यदि बच्चे को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, तो सीडब्ल्यूसी बच्चे को उपयुक्त चिकित्सा संस्थान से जोड़ने के लिए निर्देश पारित करे

- बच्चे की आयु के पर्याप्त प्रमाण के अभाव में, आयु निर्धारण परीक्षण के लिए निर्देश पारित करें। परीक्षण के परिणाम के निष्कर्ष के तुरंत बाद परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त करे। इस बीच, बच्चे को उचित सुविधा में रखा जा सकता है

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और उसके नियमों के तहत धारा 30 के तहत निर्दिष्ट सभी कर्तव्यों का पालन करें, और जिला/ राज्य स्तर पर उचित एजेंसी को नियमित अपडेट और रिपोर्ट भेजें

4.4.4 जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका[27]

- सुनिश्चित करें कि एक व्यक्तिगत देखभाल योजना है और यह कि प्रत्येक बरामद/ ट्रेस बच्चे की योजना है और उस योजना की नियमित समीक्षा की जाती है। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करें

27 http://cara.nic.in/PDF/revised%20ICPS%20scheme.pdf

- संसाधन निर्देशिका (रिसोर्स डायरेक्टरी) बनाने के लिए जिले में सभी बच्चे से संबंधित सेवा प्रदाताओं और सेवाओं को मैप करें, और लापता / बरामद बच्चे को योजनाओं से जोडें। उपलब्ध जानकारी को समय-समय पर बोर्ड और समिति के साथ साझा करें

- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) के कार्यक्रम घटकों को लागू करने के लिए विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की पहचान करें और उनका समर्थन करें

- सभी स्तरों पर बच्चों को या तो उनके परिवारों में वापस भेजें या प्रायोजन, रिश्तेदारी देखभाल, पालक देखभाल, देश के भीतर दत्तक ग्रहण (गोद लेना), इन कंट्री दत्तक ग्रहण और संस्थानों में नियुक्ति के माध्यम से बच्चे को दीर्घकालीन या अल्पकालिक पुनर्वास में रखने की सुविधा प्रदान करें

- जिला स्तर पर संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल में सभी बच्चों का एक डेटाबेस बनाए रखें, ताकि देश में 'ट्रैकचाइल्ड' पर देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले के लिए एक व्यापक, एकीकृत, लाइव डेटाबेस अपलोड किया जा सके

- बाल देखभाल संस्थानों (सी०सी०आई०) से भाग जाने वाले बच्चों का रिकॉर्ड बनाए रखें

- संस्थागत देखभाल में लापता/ ट्रेस किए गए बच्चों के जिला स्तर के डेटाबेस को बनाए रखें और नामित पोर्टल पर इसे अपलोड करें। जिला बाल संरक्षण इकाई (डी०सी०पी०यू०) ओपन शेल्टर (खुले आश्रय) की सुविधा की लाभ उठा रहे तथा पालक देखभाल में रखे गए बच्चों का विवरण अपडेट और साझा करे

4.4.5 संगठित अपराध दृष्टिकोण

- यदि बच्चे का चार महीने के भीतर पता नहीं लगाया जा सकता है, तो मामले की जांच जिले में मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई (ए०एच०टी०यू०) को स्थानांतरित कर दी जाएगी, जो हर तीन महीने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जांच में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट देगी

- यदि दुर्व्यापार या संगठित अपराध के किसी अन्य तत्व का संदेह है, तो एस०एच०ओ० की अध्यक्षता में जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी

4.5 बच्चा मिलने या बरामद होने पर उठाए जाने वाले कदम:

4.5.1 पुलिस की भूमिका:

- बच्चे के बरामद होने के बाद, जैसा भी मामला हो, उचित दिशा-निर्देशों के लिए, बच्चे को बाल कल्याण समिति/ किशोर न्याय बोर्ड/ बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं
- बच्चे की जांच चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें मनोसामाजिक विशेषज्ञ शामिल हैं
- ट्रैकचाइल्ड पोर्टल पर रिकवरी फॉर्म "R" भरा जाना चाहिए और आंकड़ों (डेटा) को www.trackthemissingchild.gov.in में अपडेट किया जाना चाहिए
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक रिपोर्ट भेजें जो बच्चे और परिवार को परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करेगी
- जांच का संचालन करें और यह सुनिश्चित करें कि यदि बच्चा अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत किसी अपराध का दोषी पाया गया है या ऐसा है, तो उसके अनुसार आगे बढ़ें
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से बच्चे का अपने माता-पिता/ कानूनी अभिभावक से पुनर्मिलन हो, इससे पहले घर का उचित सत्यापन किया जाना चाहिए

5.1 बाल श्रम

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) “बाल श्रम" शब्द को ऐसे काम के रूप में परिभाषित करता है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है।

बच्चों के काम करने के सन्दर्भ में आई०एल०ओ० ने निम्न बातें उद्धृत की हैं:

- बाल श्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक विकास का हनन करता है तथा उनकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है
- बच्चों को स्कूल जाने के अवसर से वंचित करके उनकी स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है
- उन्हें समय से पहले स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता है; आवश्यकता से अधिक समय तक तथा अपनी क्षमता से अधिक काम करने के कारण अनेक बार काम और स्कूल की उपस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है

अपने सबसे चरम रूपों में, बाल श्रम में शामिल बच्चों को गुलाम बनाया जाता है, उन्हें उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता है, वे गंभीर खतरों और बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और/ या उन्हें बड़े शहरों की सड़कों पर खुद से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है – अकसर बहुत कम उम्र में।[28]

ILO सम्मेलन 182 के अनुच्छेद 3 में बाल श्रम के सबसे खराब रूपों को परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

- गुलामी के समान सभी प्रकार की दासता या प्रथाएं, जैसे कि बच्चों की बिक्री और उनका दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग), ऋण बंधन तथा दासत्व और मजबूर या अनिवार्य श्रम, जिसमें सशस्त्र संघर्ष में उपयोग के लिए बच्चों की जबरन या अनिवार्य भर्ती भी शामिल है
- वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी के निर्माण या अश्लील प्रदर्शन के लिए बच्चे का उपयोग, खरीद या भेंट
- गैरकानूनी गतिविधियों के लिए, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय संधियों में परिभाषित दवाओं के उत्पादन और दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) के लिए बच्चे का उपयोग, खरीद या भेंट

28 https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm

- वह कार्य, जो इस तरह की प्रकृति का है या उन परिस्थितियों में किया जाता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को नुकसान पहुंचने की संभावना है[29]

भारत ने 2017 में ILO कन्वेंशन संख्या 138 की पुष्टि की है, जो एक न्यूनतम आयु निर्धारित करता है, जिसके तहत किसी भी बच्चे को काम करने की अनुमति नहीं होगी और साथ ही ILO कन्वेंशन संख्या 182, जो बाल श्रम के सबसे खराब रूपों को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।

बाल श्रम सभी रूपों में बच्चे के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाता है और बच्चे को उसके बचपन से वंचित करता है।

5.2 भारत में बाल श्रम पर आंकड़ा

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में आयु वर्ग (5-14) वर्ष में बच्चों की कुल जनसंख्या 259.6 मिलियन है। इनमें से 10.1 मिलियन (कुल बाल जनसंख्या का 3.9%) काम कर रहे हैं और इसके साथ ही 42.7 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं।[30] कुल बच्चे, जो किसी न किसी रूप में काम में लगे हुए हैं, 32.9% कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं|[31]

5.3 भारत में बाल श्रम कानूनों की उत्पत्ति

बाल नियोजन रोजगार अधिनियम, 1938 बाल श्रम के मुद्दे को हल करने के लिए पहला अधिनियम था, जिसमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों को कुछ उद्योगों में काम करने की मनाही थी। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और संविधान के अनुच्छेद 24 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि "14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।"

1948 के फैक्ट्री अधिनियम में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने से प्रतिबंधित किया गया था, 1951 के प्लांटेशन लेबर एक्ट ने बारह साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगा दी थी, 1952 के खान अधिनियम ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगा दी थी तथा 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगा दी थी| बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 को बंधुआ श्रम प्रणाली को समाप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

---

29 https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm

30 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/wcms_557089.pdf

31 जनगणना 2011

1969 में, न्यायमूर्ति पीबी गजेन्द्रगढ़कर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साझा किया कि बाल श्रम कृषि, वृक्षारोपण और दुकानों में व्याप्त था। इसके बाद 1979 में भारत सरकार द्वारा बाल श्रम की समस्या के अध्ययन और परीक्षण के लिए गुरुपद्स्वामी समिति का गठन किया गया। 1986 में, सनत मेहता समिति नामक एक अन्य समिति की स्थापना की गई थी और इन समितियों की रिपोर्टों के आधार पर 1986 में बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम (सी०एल०पी०आर०ए०) अधिनियमित किया गया था, जिसमें व्यवसायों और प्रक्रियाओं की निर्धारित सूची में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987 और 1988 में बनाई गई थी| राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना उच्च बाल श्रम वाले नौ जिलों में शुरू की गई थी। इस अधिनियम में "किशोर" शब्द शामिल करने के लिए 2016 में इसे और संशोधित किया गया था और अब इस अधिनियम को "बाल और कुमार श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986" कहा जाता है।

5.4 बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

इस अधिनियम के अनुसार, बच्चा वह है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और किशोर वह है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन वह अभी 18 वर्ष का नहीं हुआ है|[32]

5.4.1 बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध[33]

- बच्चे को किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं है
- बच्चा केवल अपने परिवार या/ कुटुंब के उस व्यवसाय में सहायता कर सकेगा, जो गैर-खतरनाक होगा तथा बच्चा अपने स्कूल के समय के बाद और छुट्टियों के दौरान काम कर सकता है
- परिवार का अर्थ है, बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लिए गए बालक के भाई या बहन या बच्चे के माँ-पिता के सगे भाई या बहन
- किसी वयस्क या कुमार के स्थान पर बच्चे से काम नहीं लिया जा सकता
- वे ऑडियो-विज़ुअल, मनोरंजन उद्योग या खेल में कलाकार के रूप में प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सर्कस में नहीं

32 धारा 2, बाल और कुमार श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, संशोधन 2016

33 धारा 3, बाल और कुमार श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, संशोधन 2016

5.4.2 किशोरों के रोजगार की स्थिति[34]

- किशोरों का खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करना निषिद्ध है, जैसा कि धारा 3 ए के भाग ए में उल्लेख किया गया है
- किशोर से किसी भी दिन लगातार 3 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है
- 3 घंटे के काम के उपरान्त या उससे पहले किशोर को न्यूनतम 1 घंटे का समय आराम के लिए देना आवश्यक है
- किशोर से छह घंटे से अधिक समय तक काम नहीं करवाया जा सकता| इसमें आधे घंटे का अवकाश भी शामिल है तथा काम के पूरा होने पर किशोर से कोई काम (ओवरटाइम) नहीं कराया जा सकता|
- शाम 07 बजे से प्रात: 08 बजे के बीच किशोर से काम नहीं लिया जा सकता है
- किशोर को एक सप्ताह में कम से कम एक दिन की छुट्टी दी जानी चाहिए, जो पहले से तय होगी

5.4.3 बाल कलाकार के रूप में रोजगार की स्थिति {नियम 2 (सी)

- कोई बच्चा एक दिन में 5 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता और बिना विश्राम किये लगातार 3 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता
- बच्चों को लेने वाले श्रव्य-दृश्य उत्पादन गृहों (प्रोडक्शन हाउस) के निर्माता अथवा किसी भी वाणिज्यिक (कमर्शियल) समारोह के प्रबंधक को बच्चों को शामिल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी अनिवार्य है
- जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति छह महीने की अवधि के लिए वैध है और उसके बाद इसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए
- बच्चे की उचित मानसिक और शारीरिक वृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए
- बच्चे को उचित पोषण आहार दिया जाना चाहिए
- बच्चे की शिक्षा में बाधा नहीं आनी चाहिए और उसकी शिक्षा के लिए उचित सुविधा प्रदान की जानी चाहिए

34 धारा 7, 8, बाल और कुमार श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, संशोधन 2016

- बच्चे को लगातार 27 दिनों से अधिक काम नहीं करना चाहिए
- अधिकतम 5 बच्चों पर एक जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए
- बच्चों की कमाई का 20% बच्चों के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडी खाते में जमा किया जाना चाहिए
- किसी भी बच्चे को उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध काम करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए

5.4.4 रजिस्टर का रखरखाव (धारा 11)

एक नियोक्ता जो अपनी स्थापना में किसी भी किशोर को नियुक्त करता है, को एक रजिस्टर बनाए रखने की आवश्यकता होती है जिसमें निम्नलिखित विवरण होना चाहिए:

- उनकी स्थापना में कार्यरत प्रत्येक किशोर का नाम और जन्म तिथि
- काम की अवधि और बाकी, जिसके लिए वह हकदार है
- काम की प्रकृति का विवरण

और यह रजिस्टर निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध होना चाहिए

5.4.5 बच्चे या किशोर को नौकरी देने की सजा (धारा 14)

एक बच्चे या किशोर को रोजगार देना एक संज्ञेय अपराध है।

अपराध	दंड
बच्चे को रोजगार देना	6 माह से 2 साल तक की सजा और 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना| माता-पिता को दंडित नहीं किया जाएगा|
खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाओं में एक किशोर को रोजगार देना	6 माह से 2 साल तक की सजा और 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना| माता-पिता को दंडित नहीं किया जाएगा|
बार-बार अपराध करना	कम से कम 1 वर्ष के लिए कारावास का दंड, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक बढाई जा सकती है
बच्चे/ किशोर के माता-पिता द्वारा अपराध को दोहराना	जुर्माना, जिसे अधिकतम 10,000 रुपये तक बढाया जा सकता है

5.4.6 बाल श्रम के खिलाफ कौन शिकायत दर्ज कर सकता है (धारा 16)

- कोई भी व्यक्ति
- पुलिस अधिकारी
- श्रम निरीक्षक
- कोई भी स्वैच्छिक संगठन
- जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उसके शिक्षक/ प्रधानाचार्य। यदि कोई बच्चा लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है, तो स्कूल प्रधानाचार्य को जिला नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा
- जिला बाल संरक्षण समिति
- पंचायत या नगर पालिका सदस्य
- प्रथम श्रेणी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट की अदालत में बाल श्रम के मामलों की कोशिश की जाएगी

5.4.7 शिकायत कहां करें

- नो चाइल्ड लेबर (PENCIL) पोर्टल (https://pencil.gov.in) के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सरकारी मंच पर
- किसी भी पुलिस स्टेशन
- विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू)
- जिला कार्य बल (टास्क फोर्स)
- राज्य श्रम विभाग
- चाइल्ड लाइन
- जिला नोडल अधिकारी

5.4.8 आयु प्रमाण पत्र (धारा 10)

निम्नलिखित दस्तावेजों को एक बच्चे या किशोर के लिए आयु का प्रमाण माना जाएगा:

- आधार कार्ड
- स्कूल से प्राप्त आयु प्रमाण पत्र
- पंचायत या नगरपालिका द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र
- यदि उपरोक्त में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो सहायक श्रम आयुक्त सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी को अस्थि परिशोधन परीक्षण का आदेश दे सकते हैं
- अस्थि परिशोधन परीक्षण की लागत उस नियोक्ता द्वारा वहन की जाएगी, जिसने बच्चे / किशोर को नियोजित किया था

5.4.9 बाल श्रम को रोकने में जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य {नियम 17 (सी)}

- वह जिला नोडल अधिकारियों को निर्दिष्ट करेगा और जिला नोडल अधिकारियों को शक्तियां और कर्तव्य सौंपेगा
- जिले में गठित कार्य बल (टास्क फोर्स) के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेंगे, जिसमें शामिल हैं:
    - लेबर इंस्पेक्टर
    - पुलिस अधीक्षक
    - अपर जिला मजिस्ट्रेट
    - जिला नोडल अधिकारी
    - सहायक श्रम आयुक्त
    - दो वर्ष की अवधि के लिए स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि
    - जिला न्यायाधीश द्वारा नामित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक सदस्य
    - जिला मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाई से एक सदस्य
    - बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष
    - समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत जिला बाल संरक्षण अधिकारी
    - जिला शिक्षा अधिकारी
    - डीएम द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति

5.4.10 जिला कार्य बल (टास्क फोर्स) की भूमिका {नियम 17 सी, (2)}

जिला टास्क फोर्स महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा और संबंधित निर्णय लेगा:

- जिले में बाल श्रम की पहचान करना
- छापा और बचाव अभियान चलाना
- सुनिश्चित करें कि बचाये गए बच्चों का पुनर्वास किशोर न्याय अधिनियम, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अनुसार किया जाता है
- पुनर्वास और मुआवजा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) और बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, 2016 के अनुसार प्राप्त होता है

5.5.1 बचाव दल[35]

छापे और बचाव अभियान के दौरान, एक दल का गठन करने की आवश्यकता है, जिसमें शामिल होंगे:

- पुलिस / विशेष किशोर पुलिस इकाई
- जिला नोडल अधिकारी या श्रम निरीक्षक
- जिला मजिस्ट्रेट/ एसडीएम या डीएम का नामांकित व्यक्ति
- जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य
- महिला पुलिस अधिकारी
- अनुवादक / परामर्शदाता

5.5.2 पुलिस की भूमिका

- क्षेत्र का एक साइट मानचित्र बनाएं, ताकि सभी प्रवेश और निकास बिंदु ज्ञात हों
- छापे के लिए जाने से पहले सामान्य डायरी में प्रविष्टि करें
- अच्छी तरह से जगह की खोज करें और सभी सबूत जैसे भोजन के बिल, कपड़े, रजिस्टर आदि इकट्ठा करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई बच्चा पीछे न छूटे
- जगह के फोटो / वीडियो लें

35 धारा 6 बाल श्रम मुक्त भारत की ओर, सीएलपीआरए के प्रवर्तन (लागू करने) के लिए एसओपी

- डिस्क्लोज़र मेमो का विकास करें
- परिसर को सील करें
- पीड़ितों को अपराधी से अलग करें
- बच्चे की पहचान का खुलासा न करें
- बच्चे को भोजन, कपड़े और तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करें
- बच्चे को स्थिति के बारे में बताएं और आवश्यकता पड़ने पर अनुवादक या दुभाषिया की मदद लें
- बच्चे को बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) में रखें या फिर उचित व्यक्ति या उचित सुविधा के साथ रखें और 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश करें
- प्रत्येक बचाये गए बच्चे के मामले को एक अलग मामले के रूप में मानें और प्रत्येक बच्चे के नियोक्ता के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करें

5.6 पुनर्वास[36]

सभी बचाए गए बच्चों को पुनर्वास प्रदान किया जाना जरुरी है, जिसमें सामाजिक पुनर्वास, शैक्षिक सहायता और आर्थिक पुनर्वास शामिल हैं।

5.6.1 सामाजिक पुनर्वास

- सभी बचाये गए बच्चों को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) जांच करेगी, जिसमें गृह सत्यापन और सामाजिक जांच रिपोर्ट शामिल होगी
- यदि गृह सत्यापन रिपोर्ट सकारात्मक है, तो बच्चे को उसके परिवार के पास वापस लाया जाएगा और आर्थिक पुनर्वास प्रदान किया जाएगा
- यदि गृह सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक है, तो बच्चे को बाल देखभाल संस्थान/ उचित सुविधा/ उचित व्यक्ति/ पालक देखभाल के लिए भेजा जाएगा

36 धारा 8 बाल श्रम मुक्त भारत की ओर, सीएलपीआरए के प्रवर्तन (लागू करने) के लिए एसओपी

- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर बच्चे द्वारा की गई प्रगति की निगरानी के लिए पुनर्वास कार्ड जारी करेगी

5.6.2 शैक्षिक पुनर्वास

- बचाये बच्चों/ किशोरों को एनसीएलपी के अनुसार उपयुक्त शिक्षा सुविधाओं से जोड़ा जाएगा
- 5-8 वर्ष के बीच के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत नामांकित किया जाएगा
- 9-14 के बीच के बच्चे एनसीएलपी के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में दो साल की ब्रिज शिक्षा में भाग लेंगे
- 14-18 के बीच के किशोरों को सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा

5.6.3 आर्थिक पुनर्वास

आर्थिक पुनर्वास में शामिल होंगे:

- नियोक्ता से बकाया मजदूरी लेना
- बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, 2016 के तहत रुपये 20000 की तत्काल वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, जबरन वेश्यावृत्ति, भीख मांगने आदि के मामलों पर लागू है
- जिलाधिकारी (डीएम) द्वारा मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर तीन लाख रुपये तक का अतिरिक्त मुआवजा उपलब्ध है
- धारा 357 ए के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से पीड़ित मुआवजा
- नियोक्ता को पुनर्वास निधि में 20000 रुपये का जुर्माना देना होगा
- बचाए गए हर बच्चे / किशोर को पुनर्वास फंड के लिए सरकार द्वारा 5000 रुपये दिए जाएंगे या परिवार के किसी वयस्क सदस्य को नौकरी दी जाएगी
- इसके अतिरिक्त रुपए 15000 का भुगतान प्रति बच्चे या किशोर के खाते में सरकार द्वारा पुनर्वास निधि के लिए किया जाएगा

6.1 मानव दुर्व्यापार (ह्यूमन ट्रैफिकिंग)

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 370 के अनुसार, दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) से तात्पर्य है -

कोई भी व्यक्ति अगर शोषण के इरादे से 'किसी व्यक्ति अथवा किन्हीं व्यक्तियों को' –

i. डरा-धमकाकर; या

ii. बल-प्रयोग अथवा किसी भी अन्य प्रकार की प्रताड़ना का प्रयोग करके; या

iii. अपहरण द्वारा; या

iv. धोखे अथवा कपट का प्रयोग करके; या

v. ताकत का दुरुपयोग कर; अथवा

vi. किसी तरह का लालच देकर

1) नौकरी पर रखता है

2) एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है

3) आश्रय देता है

4) दूसरे को सौंप देता है; या

5) किसी दूसरे से हासिल करता है –

तथा इस हेतु व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदा देता है अथवा प्राप्त करता है, तो वह दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) का अपराध करता है|

दुर्व्यापार को समझना		
अधिनियम के माध्यम से	**प्रक्रिया/तरीका**	**उद्देश्य/इरादा**
• भर्ती (रिक्रूटमेंट) • परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) • हस्तांतरण (ट्रांसफर) • आश्रय देना; अथवा • हासिल करना	• धमकी, बल प्रयोग • अपहरण, धोखा, छल-कपट, • दुरुपयोग (शक्ति अथवा प्रभावशाली पद का या असुर-क्षा की स्थिति का) प्रलोभन, • साथ ही धन या लाभ का लेन-देन	• शोषण के प्रयोजन के लिए: इसमें शामिल है, न्यूनतम स्तर पर: • शारीरिक शोषण • यौन शोषण, • गुलामी या गुलामी की तरह की अन्य प्रथाएं (जैसे कि बलात श्रम या सेवाएं), • दासत्व • अंगों को जबरन हटाना या हटाने के लिए मजबूर करना

दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) एक निरंतर होने वाला अपराध है, जो स्रोत (सोर्स) से पारगमन (ट्रांजिट) और गंतव्य (डेस्टिनेशन) तक जारी रहता है:

मानव दुर्व्यापार (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) बहु-आयामी प्रकृति का संगठित अपराध है, जिसकी पहुँच वैश्विक स्तर पर है| दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) में धोखाधड़ी, अपहरण, विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यपहरण, खरीद और बिक्री, गलत तरीके से कारावास आदि कई अपराधों के तत्व शामिल हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के शोषण और अपराध को जन्म मिलता है; जैसे कि बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, यौन शोषण, बलात्कार, अंग व्यापार आदि|

मानव दुर्व्यापार के अपराध के स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आदि विभिन्न आयाम हो सकते हैं, जिनका संबंध हितधारकों, भौगोलिक परिवेश, अपराध के क्षेत्राधिकार आदि से हो|

अपराध एक स्रोत क्षेत्र से शुरू होता है| दुर्व्यापार करने वाला एक पूरी श्रृंखला से गुजरता है, स्रोत क्षेत्र के बिंदु से अंतिम गंतव्य के बिंदु तक! पहले पीड़ित की भरती के लिए कार्यवाही की जाती है और फिर पीड़ित को उस गंतव्य तक पहुँचाया जाता है, जहाँ उसका किसी आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है| अवैध व्यापार में शामिल व्यक्ति दूसरों का शोषण कर अपना लाभ लेता है तथा मुनाफा और सुविधा प्राप्त करता है| इसके बाद, निरंतर उसका शोषण चक्र चलता रहता है| हालाँकि, दुर्व्यापार के अपराध की इस श्रृंखला के दौरान, शोषण कई दुर्व्यापारियों (शोषकों) द्वारा किया जा सकता है तथा शोषण के चरण अलग-अलग हो सकते हैं|

तदनुसार, मानव दुर्व्यापार के विरोध के लिए सामुदायिक स्तर पर स्रोत, पारगमन (ट्रांजिट) और गंतव्य क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रयासों का होना आवश्यक है:

(i) सामाजिक विकास, कानून प्रवर्तन, सामुदायिक समूहों के साथ घनिष्ठ निगरानी के माध्यम से विभिन्न हितधारकों द्वारा निवारक कार्यवाही|

(ii) उन असुरक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण समय पर सुनिश्चित करना, जहाँ दुर्व्यापार होने की सम्भावना है तथा दुर्व्यापार की शीघ्र पहचान के लिए सामुदायिक समूहों के साथ नेटवर्क बनाये रखना|

(iii) पारगमन मार्गों को जांचना और हस्तक्षेप करना, बारीकी से उन मार्गों की निगरानी द्वारा सुरक्षित प्रवास प्रथाओं को बढ़ावा देना|[37]

6.2 मानव दुर्व्यापार क्यों

- सबसे लाभदायक आपराधिक गतिविधियों में से एक
- आपूर्ति और मांग के सिद्धांत के आधार पर बाजार संचालित उद्योग
- केवल उद्योग जिसमें आपूर्ति और मांग समान है। जितनी अधिक मांग है, उतनी ही आपूर्ति है
- यौन शोषण के लिए कमजोर लड़कियों की खरीद और दुर्व्यापार के लिए आसान और कम लागत वाला व्यवसाय
- मजबूर श्रम का उपयोग करके प्राप्त वैश्विक मुनाफा प्रति वर्ष कम से कम 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें दुर्व्यापार से यूएस $ 32 बिलियन भी शामिल थे। (आई०एल०ओ० रिपोर्ट 2005)
- प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति यूएस $ 21,800 के वैश्विक औसत लाभ के साथ, यह क्षेत्र अन्य सभी प्रकार के मजबूर श्रम की तुलना में छह गुना अधिक लाभदायक है, और घरेलू काम के अलावा मजबूर श्रम शोषण की तुलना में पांच गुना अधिक लाभदायक है

37 भारत में मानव व्यापार रोधी मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत [एसओपी फॉर कॉमबेटिंग ट्रैफिकिंग ऑफ़ पर्सन्स इन इंडिया बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन]

6.3 मानव दुर्व्यापार के कारण

- गरीबी
- निरक्षरता / शिक्षा का अभाव
- बेरोजगारी
- आजीविका की तलाश में प्रवासन या अन्य कारण जैसे बड़े शहरों में आकर्षक नौकरियों की इच्छा (ग्रामीण और शहरी)
- आर्थिक कारण
- महिलाओं का व्यापार
- आसानी से पैसा कमाना
- संगठित अपराध की मांग
- वंचित महिलायें / जातीय अल्पसंख्यक
- आपदा पीड़ित
- सामाजिक मुद्दे - बाल वरीयता / लैंगिक असमानता
- परिवार से भागे हुए
- बहुविवाह, तलाकशुदा, परिवार से अलग और विधवा महिला, बेवफा पति, कई शादियां
- धार्मिक और सामाजिक वर्जना
- अस्वस्थ पारिवारिक वातावरण
- यौन शोषण / दुर्व्यवहार और बलात्कार
- महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता/ घरेलू हिंसा
- शराब / मादक द्रव्यों का सेवन
- कानून का दृढ़ता से पालन न होना

6.4 कौन शिकायत दर्ज कर सकता है

कोई भी व्यक्ति फोन से, ईमेल द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दुर्व्यापार की किसी भी घटना की शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत निम्न के माध्यम से की जा सकती है:

- माता - पिता या कानूनी अभिभावक
- गैर सरकारी संगठन
- राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण / राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा /एसएलएसए /डीएलएसए)
- समाज सेवक
- श्रम निरीक्षक / श्रम विभाग
- रेलवे पुलिस
- किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम के नर्स, डॉक्टर या प्रबंधन
- कोई भी व्यक्ति जिसे घटना का ज्ञान है
- दुर्व्यापार के शिकार की सुरक्षा से संबंधित कोई भी व्यक्ति पीड़ित स्वयं

6.5 शिकायत कहां करें:

इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करानी होगी।

6.6 शिकायत मिलने पर की जाने वाली कार्रवाई

- दुर्व्यापार की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस को सभी संबंधित धाराओं को शामिल करते हुए एक प्राथमिकी (एफ०आई०आर०) दर्ज करनी होगी|
- प्राथमिकी (एफ०आई०आर०) दर्ज करने के बाद, एक व्यापक बचाव दल का गठन किया जाता है, जिसमें निम्न शामिल होते हैं: पुलिस/ विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस०जे०पी०यू०)/ मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाई (ए०एच०टी०यू०)/ जिलाधिकारी या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के प्रतिनिधि, महिला पुलिस अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी या श्रम अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि/ महिला या चाइल्ड हेल्पलाइन, कम से कम दो सम्मानित नागरिक जिनमें

से एक महिला, अनुवादक और परामर्शदाता होना चाहिए| यदि मार्ग में हैं, तो बचाव दल में जीआरपी या आरपीएफ भी शामिल होंगे। बच्चों के दुर्व्यापार के मामलों में, बचाव दल में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ; यदि बाल विवाह हुआ है) शामिल होंगे|

- बचाव के दौरान, पानी, भोजन और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए और आपातकालीन आश्रय प्रदान करने के लिए निकटतम बाल देखभाल संस्थान और महिलाओं के आश्रय को भी सूचित किया जाना चाहिए
- छापेमारी और बचाव अभियान चलाने से पहले, पुलिस को क्षेत्र का एक उचित नोट बनाना चाहिए और सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं का ज्ञान होना चाहिए
- पुलिस को मामले को पूर्ण सबूत सहित बनाने के लिए बचाव स्थल से सभी सबूत एकत्र करने का ध्यान रखना चाहिए
- बचाव कार्यों के बाद पीड़ितों को दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर) से अलग करना चाहिए और उन्हें निकटतम बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) या महिला आश्रय गृह में रखा जाना चाहिए
- बाल पीड़ित को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, जिससे बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सके
    - बचाव दल को ऑपरेशन के बारे में गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए
    - यदि आवश्यक हो तो पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए

6.7 बचाव के बाद पुनर्वास

बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को उन बच्चों के लिए गृह सत्यापन और सामाजिक जांच रिपोर्ट का आदेश देना है, जिन्हें दुर्व्यापार से बचाया गया है। यदि गृह सत्यापन को मंजूरी दी जाती है, तो बच्चे को उसके परिवार को वापस कर दिया जाएगा। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) प्रत्यावर्तन (रिपेटरियेशन) के लिए आवश्यक धन-संबंधी सहायता प्रदान करने का आदेश दे सकती है।

यदि गृह सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक है, तो बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) बच्चे के दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए आदेश पारित करेगी।

6.7.1 सामाजिक पुनर्वास

- ऐसे मामलों में जहां गृह सत्यापन नकारात्मक है, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) बच्चे को बाल गृह या उचित सुविधा या उचित व्यक्ति या पालक देखभाल में रखने के लिए आदेश करेगी

- सीडब्ल्यूसी को चाहिए कि वह बच्चे की प्रगति की निगरानी के लिए एक पुनर्वास कार्ड जारी करे और कार्ड का रखरखाव संबंधित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) के प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किया जाएगा जहाँ बच्चे को रखा गया है

- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) एक व्यक्तिगत देखभाल योजना भी बनाएगी और बालक के 18 वर्ष की आयु के होने तक हर तिमाही उसकी निगरानी करेगी

- बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के लिए धारा 46 के अनुसार आगे वित्तीय सहायता प्रदान करने का आदेश दे सकती है

6.7.2 आर्थिक पुनर्वास

एक बच्चा जिसे दुर्व्यापार से बचाया गया है, वह निम्नलिखित मुआवजा योजनाओं के लिए पात्र है:

- 'बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, 2016' के तहत 20000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता। यह मानव दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति, भीख मांगने आदि के मामलों में लागू है

- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणपत्र जारी होने पर तीन लाख रुपये तक का अतिरिक्त मुआवजा उपलब्ध है

- डी०एम०/एस०डी०एम० अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम के तहत तत्काल आर्थिक राहत भी प्रदान कर सकते हैं

- न्यूनतम मजदूरी की दर से बकाया मजदूरी किए गए काम की अवधि के लिए पीड़ित को देनी होगी

- नियोक्ता को बच्चे के लाभ के लिए बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष में 20000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से भुगतान भी करना होगा

- इसके साथ ही, सरकार इस फंड को 15000 रुपये की राशि तथा बच्चे को 5000 रुपये या परिवार के किसी सदस्य को नौकरी प्रदान करेगी
- यौन उत्पीड़न के मामले में बच्चे को आगे मुआवजा भी मिलेगा

6.7.3 शैक्षिक समर्थन

- यदि बच्चा 5-8 वर्ष के बीच का है, तो उसे सीधे सर्वशिक्षा अभियान से जोडें
- 9-14 वर्ष की आयु के बच्चे एनसीएलपी स्कूलों में एक साल के ब्रिज कोर्स में भाग लें और फिर उन्हें सर्व शिक्षा अभियान से जोडें
- 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराएं

6.8 मानव दुर्व्यापार के मामले से निपटने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका

6.8.1 पुलिस की भूमिका[38]

- अपराध का जल्द पता लगाने के लिए पुलिस जांच करने में सक्रिय रहे और दुर्व्यापार को रोकने के लिए सबूतों का संग्रह करें
- जानकारी के संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए स्रोतों की पहचान करें और जागरूकता शिविर आयोजित करें तथा परिवहन क्षेत्र जैसे रेलवे जंक्शन और बस स्टॉप पर दुर्व्यापार को रोकने के लिए सतर्क रहे
- आम जनता को पुलिस की आंख और कान बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा का परिचय दें और दुर्व्यापार को रोकें
- दुर्व्यापार के अपराध का पूर्वानुमान करने के लिए पहले से बचाए गए अभियुक्तों, शामिल अभियुक्तों, बिचौलियों, और अन्य संभावित अपराधियों के प्रोफाइल का रिकॉर्ड बनाए रखें
- गुमशुदा व्यक्तियों / बच्चों के डेटाबेस को इकट्ठा करें और उसका विश्लेषण करें और यदि चार महीने के भीतर पता नहीं चलता है तो मामले को जिले के मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाई (ए०एच०टी०यू०) में स्थानांतरित करें

38 भारत में मानव व्यापार रोधी मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत [एसओपी फॉर कॉमबेटिंग ट्रैफिकिंग ऑफ़ पर्सन्स इन इंडिया बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन]

- गुमशुदा बच्चे की शिकायत मिलने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करें
- बच्चों के खिलाफ अपराधों पर पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगमों के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित करें, जिनमें अपराधों की पहचान और रिपोर्टिंग शामिल है
- खुफिया साझाकरण और संग्रह के लिए अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी स्थापित करें
- जब कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो कानून की आवश्यकताओं के अनुसार बचाव दल का गठन करें तथा कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों की पहचान को शामिल करें
- छापे और बचाव अभियान के दौरान रसद सहायता की व्यवस्था करें और छापे के बाद परिसर को सील करें
- पीड़ितों को दुर्व्यापारियों से अलग करें और बचाव के बाद तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करें
- बचाव प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि बचाव के दौरान पीड़ित को गिरफ्तार नहीं किया गया है
- तस्वीरों और दस्तावेजों के रूप में बचाव के समय सभी उपलब्ध साक्ष्य एकत्र करें और छापे / बचाव के दौरान जब्त की गई सभी चीजों का मेमो बनाएं
- अनुवादक, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के प्रतिनिधि की मदद से बाल पीड़ित को स्थिति बताएं
- गोपनीयता सुनिश्चित करें और सभी पीड़ितों की पहचान की रक्षा करें
- बचाये बच्चे को तुरंत सुरक्षित स्थान पर और अपराधी से दूर रखें
- सभी पीड़ितों की गोपनीयता सुनिश्चित करें और पहचान की रक्षा करें
- छुड़ाए गए बच्चे को तुरंत सुरक्षित स्थान पर भेजें और अपराधी से दूर रखें
- छापे और बचाव अभियान के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर जाते समय एक सामान्य डायरी प्रविष्टि दर्ज करें और सुनिश्चित करें कि स्रोत / पीड़ित / स्थान के बारे में जानकारी लीक नहीं हुई है
- प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करें, जिसमें पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए लागू कानूनों के सभी प्रासंगिक प्रावधान शामिल होने चाहिए
- बचाए गए बच्चे को यात्रा के समय को छोड़कर, बचाव के समय से 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत करें

- एक पूर्ण प्रमाणित मामला (फुल प्रूफ केस) स्थापित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य एकत्र करें (मनी ट्रेल, कम्युनिकेशन ट्रेल आदि सहित सभी निर्देशनों का पालन करें)
- बाल श्रम के मामलों में, यह सुनिश्चित करें कि कारखाने को सील कर दिया गया है, अवैतनिक मजदूरी की वसूली की गई है और उसका वितरण किया गया है
- बाल यौन शोषण के मामले में पुष्टि करें कि वेश्यालय को सील कर दिया गया है और अपराधियों को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (आईटीपीए) 1956 की धारा 18 के अनुसार परिसर से बेदखल कर दिया गया है

6.8.2 गैर-सरकारी संगठन की भूमिका

- समुदाय से सूचना का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु पुलिस के साथ काम करें
- यदि दुर्व्यापार या संभावित अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो पुलिस को सूचित करें| पीड़ित द्वारा किसी भी मदद की आवश्यकता होने पर शिकायत दर्ज करें
- दुर्व्यापार की घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करें
- बचाव अभियान से पहले सुनिश्चित करें कि बचाव दल के साथ लॉजिस्टिकल सहायता उपलब्ध है
- कानून की आवश्यकताओं के अनुसार बचाव दल के गठन में सहायता करें
- पीड़ित को स्थिति समझाने और उसकी काउंसलिंग करने में पुलिस की मदद करें
- अदालत की कार्यवाही से पहले पीड़ित को परीक्षण, तैयारी और परामर्श की प्रक्रिया समझाने में पुलिस के साथ समन्वय करें
- गृह सत्यापन के लिए डेटा एकत्र करने में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की सहायता करें
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के निर्देश पर सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करें
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के आदेशों के अनुसार बच्चे के प्रत्यावर्तन (रिपेटरियेशन) में सहायता करें

6.8.3 बाल कल्याण समिति की भूमिका

- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को चार महीने में जांच पूरी करनी है और जांच के आधार पर बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाला बच्चा घोषित करें तथा उसके पुनर्वास के लिए आदेश दें
- तत्काल आश्रय और चिकित्सा मूल्यांकन के लिए अपेक्षित आदेश प्रदान करें
- गृह सत्यापन के लिए आदेश पारित करना और इस तरह के आदेश को पारित करने के 15 दिनों के भीतर इसे पूरा करें
- गृह सत्यापन रिपोर्ट की जांच और आकलन करने के बाद, प्रत्यावर्तन (रिपेटरिएशन) के लिए आदेश पारित करना (मौद्रिक सहायता के साथ या बिना) या बच्चे के दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए आदेश पारित करें
- एक बच्चा, जिसे दीर्घकालिक संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है, उसे बाल गृह, उचित सुविधा, उचित व्यक्ति या पालक की देखभाल के लिए भेजें, जब तक कि बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता
- व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करने के लिए आदेश पारित करें, इसकी निगरानी करें और बच्चे के लिए पुनर्वास कार्ड भी जारी करें
- जबरन श्रम के लिए दुर्व्यापार के मामले में बाल पीड़ित को न्यूनतम मजदूरी की दर से बकाया मजदूरी वापस किये जाने का आदेश दें
- जब किसी 5-8 वर्ष के बीच के बच्चे को जबरन श्रम से बचाया जाता है, तो बच्चे को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ने का आदेश पारित करें

6.8.4 जिला बाल संरक्षण इकाई

- खुफिया जानकारी साझा करने और जानकारी एकत्र करने के लिए हितधारकों के साथ समन्वय बनाए रखें
- दुर्व्यापार की घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करें
- बचाव दल में शामिल हों तथा बालक और कुमार श्रम (मयनविविंए धषेतप्रि) अधिनियम (सीएलपीआरए), 2016 और बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम (बीएलएसए), 1976 के तहत आवश्यक पूछताछ करें

- केंद्रीकृत डेटा बेस में जानकारी दर्ज करें और सुनिश्चित करें कि एफआईआर संबंधित धाराओं के साथ दर्ज की गई है
- अवैध कारखानों / काम के स्थानों को बंद करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दें
- सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को जिला मजिस्ट्रेट के सामने बंधुआ मजदूर घोषित करने के लिए पेश किया गया है और उन्हें मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा उनके पक्ष में पुनर्वास राशि जारी करने के लिए कदम उठाए गए हैं
- जहां भी ब्रिज शिक्षा आवश्यक है, सुनिश्चित करें कि बच्चे को एनसीएलपी स्कूल में नामांकित किया गया है
- नियोक्ता से प्रति बच्चा 20,000 रुपये की वसूली करें और यह सुनिश्चित करें कि इसे "बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग केवल बच्चे के लाभ के लिए किया जाएगा
- यह सुनिश्चित करें कि सरकार बाल श्रमिकों को जबरन मजदूरी में शामिल करने के बदले में उनके परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार प्रदान करती है या सरकार ने प्रति बच्चे 5000 रुपये का योगदान दिया है

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065
ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वेबसाईट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)